



सन्त्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन

(1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए)



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीया श्रीमती आनंदीबेन पटेल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 का अनावरण करते हुए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का

सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन

(1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये)

छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल
को प्रस्तुत

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

श्री के.आर. पिस्टा

अध्यक्ष

(अवधि दिनांक 17/01/2017 से निरंतर)

श्री शिवनारायण पाण्डेय

सदस्य

(अवधि दिनांक 5/12/2014 से निरंतर)

श्री मोहन लाल मंडाकी

सदस्य

(अवधि दिनांक 10/11/2015 से निरंतर)

श्री सुकृत लाल साव

सदस्य

(अवधि दिनांक 22/05/2017 से निरंतर)

श्री डॉ. मोतीलाल बाचकर

सदस्य

(अवधि दिनांक 05/10/2017 से निरंतर)

अध्यक्ष तथा सदस्यगणों के जीवनवृत्त का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट एक में दिया गया है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18



विषय सूची

अध्यायों की सूची :-

अध्याय क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	01
2.	उत्पत्ति एवं विकास	02-03
3.	लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान	04-08
4.	आयोग की संरचना	09-10
5.	आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन	11
6.	ऑनलाइन आवेदन	12
7.	परीक्षा	13-14
8.	अंतिम चयन	15-18
9.	राज्य सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में वैश्लेषिक ऑकड़े	19
10.	आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	20
11.	भर्ती नियम, सेवा नियम	21
12.	पदोन्नतियों	22-23
13	अनुशासनिक मामले	24
14	वित्त	25
15	न्यायालयीन प्रकरण	26
16	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रकरणों के निराकरण की जानकारी	27-28
17	प्रस्तावित कार्य-योजना	29-30
18	कृतज्ञता ज्ञापन	31

परिशिष्ट की सूची :-

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ -संख्या
1.	आयोग के पदाधिकारियों का जीवन वृतान्त।	32-35
2.	आयोग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दिनांक 31 / 03 / 2018 की स्थिति में	36-37
3.	अंतिम चयन	38-43
4.	सूचना-प्रौद्योगिकी	44-50
5.	विभागीय भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिए जाने का विवरण	51
6.	विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठकों का विवरण	52-58
7.	विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील प्रकरणों का विवरण	59-73
8.	मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग,(3689) राज्य लोक सेवा आयोग, आयोजनेत्तर, वित्तीय वर्ष 2016-17 (माह 01 / 04 / 2016 से 31 / 03 / 2017 तक) व्यय एवं समर्पण	74-78

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18



अध्याय -एक

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत आयोग का यह सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017–18 के लिए आयोग की मुख्य गतिविधियों का समावेश किया गया है। उक्त अवधि में आने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

- प्रतिवेदित वर्ष में सीधी भर्ती के कुल 1625 पदों के विरुद्ध 1057 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची राज्य शासन के संबंधित विभागों को भेजी गई है।
- विभागीय पदोन्नति समिति के मामलों में प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान आयोग को पदोन्नति प्रकरणों में शासन के लगभग सभी विभागों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप उक्त अवधि में विभागीय पदोन्नति समिति की कुल 88 बैठकें आयोजित की गईं।
- आयोग द्वारा संपादित कार्यों में गुणवत्ता एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं और यह कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करके एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग से ही संभव हो पा रहा है। आयोग ने इस दिशा में कार्य करते हुए कम्प्यूटर आधारित आनलाईन परीक्षाएं आयोजित की हैं। इस अवधि में कुल 19 ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की गई है।
- वर्तमान आयोग कार्यालय जल संसाधन विभाग के पुराने विश्रामगृह में संचालित है। जगह की कमी से कार्यालय संचालन में कठिनाई है। नया रायपुर में आयोग कार्यालय हेतु सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन प्राप्त हो चुका है। भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। भवन निर्माण एन.आर.डी.ए. द्वारा किया जाना है। भवन निर्माण का कार्य दिनांक 26.06.2018 से प्रारंभ हो चुका है। भवन निर्माण पूर्ण करने के लिए एक वर्ष की समयसीमा निर्धारित है।

मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आयोग को शासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि अपेक्षाओं के अनुरूप आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यों में अधिक गुणवत्ता लाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सके।

स्थान: रायपुर

दिनांक 04 / 10 / 2018



(के.आर. पिस्डा)
अध्यक्ष

अध्याय -दो

उत्पत्ति एवं विकास

लोक सेवा आयोगों के संस्थापन का आरंभ 1919 में तत्कालीन अंग्रेजी शासकों द्वारा भारत के लिये स्वायत्त शासन की आवश्यकता के आधार पर किया गया। 5 मार्च 1919 के भारतीय वैधानिक सुधार विषयक प्रथम प्रेषणापत्र में कहा गया कि—

“अधिकतर राज्यों में, जहाँ स्वायत्त शासन की स्थापना हो चुकी हैं, इस बात की आवश्यकता अनुभूत की जाती हैं, कि सार्वजनिक सेवाओं को राजनीतिक प्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए और उसके हेतु एक ऐसा स्थायी कार्यालय स्थापित किया गया है, जो विविध सेवाओं का नियंत्रण करता है। हम लोग इस समय भारत में ऐसे सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के लिये उद्यत नहीं हैं, परंतु हम देख रहे हैं, कि ये सेवाएँ, क्रम से, अधिकाधिक मंत्रियों के नियंत्रण में आती जाएँगी, जिसके कारण यह उचित है, कि इस प्रकार की संस्था का आरंभ किया जाय।”

1919 के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था, जिसकी सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्तव्य होंगे, जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। 1923 में, लॉर्ड ली के नेतृत्व में, एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के ऊपर विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस कमीशन ने, अपने 27 मार्च 1924 के विवरण में, लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसका 1919 के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था, कि उक्त आयोग के निम्नलिखित चार मुख्य कार्य होंगे।

1. सार्वजनिक सेवाओं के लिये कर्मचारियों की भर्ती।
2. सेवाओं में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं का विधान तथा उचित मान स्थिर करना,
3. सेवाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा नियंत्रण एवं अनुशासन की व्यवस्था करना, जो लगभग न्यायविधान की कोटि का कार्य है।
4. सामान्य रूप से सेवा संबंधी समस्याओं पर परामर्श एवं अनुमति देना।

उक्त लोकसेवा आयोग की स्थापना 1926 के अक्टूबर मास में हुई। एक नियमावली बनाई गई, जिसमें इस बात का विधान था, कि अखिल भारत की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के निर्धारण, जिनके द्वारा कर्मचारियों का निर्वाचन हो, उक्त सेवाओं के लिये पदोन्नति, अनुशासनीय कार्य, वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रॉविडेंट फंड एवं पारिवारिक पेंशन विषय आदि मामलों में सरकार

उससे परामर्श ले। किसी वर्ग विशेष या सभी सेवाओं के नियमाधार तथा छुट्टी आदि के नियमों के प्रश्नों पर भी सरकार उक्त आयोग से परामर्श करेगी।

उक्त नियमावली में आयोग के लिये जो नियम निर्दिष्ट किए गए थे, उनका सुधार तथा स्थायीकरण उसी श्वेतपत्र के द्वारा हुआ, जिसमें वैधानिक सुधारों के लिये ऐसे प्रस्ताव थे, जिनके अनुसार प्रत्येक राज्यों के लिये भी आयोगों की स्थापना करने का विधान था। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था करना, जिनके द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव हो, केंद्रीय तथा राज्यों के आयोगों का कर्तव्य बतलाया गया। सरकार को आयोगों से इसका भी परामर्श करना था, कि सेवाओं के लिये, किस प्रकार चुनाव के द्वारा नियुक्ति हो, पदोन्नति कैसे किए जाएँ, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण कैसे किए जाएँ, आदि। उक्त श्वेतपत्र में यह प्रस्ताव भी किया गया था, कि सरकार को आयोगों से भिन्न विषयों पर भी परामर्श लेना चाहिए।

1935 के भारतीय विधान के परिच्छेद 266 में, उपर्युक्त प्रस्तावों को स्थायी रूप दिया गया। उसमें लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। यह कहा जा सकता है, कि उक्त विधान के द्वारा ही आयोगों की अंतिम एवं स्थायी रूप में रचना की गई थी। आज के केंद्रीय अथवा राज्यों के आयोग का संगठन, रूप एवं आधार, सब उसी पर अवलंबित हैं।

स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने अनुभव किया, कि सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा हितों की रक्षा के लिए संघीय एवं प्रांतीय, दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को एक सुदृढ़ और स्वायत्त स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता है, तदानुसार केन्द्र तथा राज्यों में पृथक—पृथक लोक सेवा आयोग गठन करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया।

सौजन्य :— विकिपिडिया

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ तथा तात्कालिक प्रावधानों के अनुसार दिनांक 23 मई 2001 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315(1) के उपबंधों के अधीन किया गया है।

अध्याय - तीन

लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

अनु. 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग:-

इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

अनु. 316. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग:-

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी:

परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी—अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।

(1) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो यथास्थिति, जब तक रिक्त पद पर खंड (1) के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य, जिसे संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति करें, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा:

परंतु—

- (क) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा
- (ख) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड (1) या खंड (3) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

- (ग) कोई व्यक्ति, जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

अनु. 317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना:-

- (1) खंड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
- (2) आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा, जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।

(3) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य-

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या
- (ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगाता है, या
- (ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैयित्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा।
- (4) यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अनु. 318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारीबृंद की सेवा और शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति:-

संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा—

- (क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और
- (ख) आयोग के कर्मचारीबृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा :

परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अनु. 319. आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध- पद पर न रह

जाने पर-

- (क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा;
- (ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा;
- (ग) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा;
- (घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा;

अनु. 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य :-

- (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा, कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।
- (2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, तो उसका यह कर्तव्य होगा, कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमे बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें।
- (3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से –
 - (क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,
 - (ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,
 - (ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं,

- (घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए,
- (ङ.) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेशन अनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे यथास्थिति, राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा :
- परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (4) खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी, कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाए।
- (5) राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल द्वारा खंड (3) के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान—मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे, जो संसद् के दोनों सदन या उस राज्य के विधान—मंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं।

अनु. 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति :- यथास्थिति, संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान—मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।

अनु. 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय- संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

अनु. 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन- राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान—मंडल के समक्ष रखवाएगा।

अध्याय -चार

आयोग की संरचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन दिनांक 23.05.2001 को किया गया है।

2. आयोग, संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य शासन के अधीन विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न विभागों में पदोन्नति के रिक्त पदों के लिए “पदोन्नति समिति” की बैठकें आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की अध्यक्षता में की जाती है तथा विभागों के भर्ती नियमों तथा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में राज्य शासन को परामर्श दिया जाता है।

3. आयोग में पदस्थ अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में विवरण निम्नवत है :—

नाम	पदनाम	कार्यकाल
श्री के.आर. पिस्दा	अध्यक्ष	दिनांक 17.01.2017 से निरंतर
श्री शिवनारायण पाण्डेय	सदस्य	दिनांक 05.12.2014 से निरंतर
श्री मोहन लाल मंडावी	सदस्य	दिनांक 10.11.2015 से निरंतर
श्री सुकृत लाल साव	सदस्य	दिनांक 22.05.2017 से निरंतर
श्री डॉ. मोतीलाल बाचकर	सदस्य	दिनांक 05.10.2017 से निरंतर

आयोग में निम्नानुसार अधिकारी पदस्थ रहे हैं :—

क्र.	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण दिनांक
1	श्री चन्द्रकान्त उईके (भा.प्र.से.)	सचिव	दिनांक 11.09.2017 से निरंतर
2	श्रीमती पुष्पा साहू (रा.प्र.से.)	उप सचिव	दिनांक 10.11.2016 से निरंतर
3	श्री ए.के. मिश्रा	परीक्षा नियंत्रक	दिनांक 11.09.2013 से निरंतर
4	श्रीमती आरती वासनिक	अपर परीक्षा नियंत्रक	दिनांक 04.05.2017 से निरंतर
5	श्री जे.एस. गोंड	अवर सचिव	दिनांक 25.06.2005 से निरंतर
6	श्री आर.के. ध्रुव	अवर सचिव	दिनांक 08.10.2015 से निरंतर

आयोग हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं रिक्त पदों की जानकारी “परिशिष्ट-दो” में दी गई है।

➤ आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था

राज्य शासन ने आयोग में 05 संवैधानिक पद (**01** अध्यक्ष, **04** सदस्य) सहित कुल **160** अधिकारियों व कर्मचारियों की पद संरचना स्वीकृत किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के गठन के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के अधिकांश पदों पर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए। साथ ही राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु सांख्यिकी अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) का एक पद सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विधि अधिकारी (अस्थाई) का एक पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु स्वीकृत है। उक्त पद को स्थाई करने हेतु छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को लेख किया गया है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कुल पद संख्या 160 के विरुद्ध 101 अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत है। अधिकांश पदों पर प्रतिनियुक्ति पद अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ किये गये हैं।

आयोग कार्यालय में कुल 160 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध माननीय अध्यक्ष 01, माननीय सदस्य 04 संवैधानिक पद है। शेष पद आयोग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वृन्द के लिए स्वीकृत हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	श्रेणी	अधिकारी / कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या
1.	प्रथम श्रेणी	08	08
2.	द्वितीय श्रेणी	15	10
3.	तृतीय श्रेणी	96	50
4.	चतुर्थ श्रेणी	36	28
	योग	155	96

अध्याय - पांच

आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन

आयोग को वर्ष 2017–18 में राज्य शासन के विभिन्न विभागों से सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त मांग-पत्रों एवं आयोग द्वारा इसके परीक्षण उपरांत जारी विज्ञापनों का विवरण निम्नानुसार हैः—

स.क्र.	पद नाम	विभाग का	कुल पद
1	व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)–2017	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	25
2	रजिस्ट्रार	उच्च शिक्षा विभाग	3
3	लेक्चरर	ग्रामोद्योग विभाग	4
	लाइब्रेरियन		1
4	सहायक संचालक, हाथकरघा	ग्रामोद्योग विभाग	6
5	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक (होम्यो.)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	57
6	विधि अधिकारी	गृह (जेल) विभाग	2
7	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	69
8	यूनानी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक (यूनानी)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	30
9	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2017		26
10	राज्य सेवा परीक्षा–2017		299
11	छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा–2017	वन विभाग	59
12	आयोग के कार्यालयीन कर्मचारी भर्ती	छोटा लोक सेवा आयोग	31
13	सहायक संचालक, प्रशासक, खेल अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	5
14	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी, रसायन, जीव)	गृह (पुलिस) विभाग	31
कुल योगः—			648

अध्याय - ४: ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात नियत समय के लिए अभ्यर्थियों को एक बार के लिए त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा समस्त आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए। आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदनों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है।

स.क्र	परीक्षा का नाम	विज्ञापित कुल पद	अना.	अजा	अजजा	अपिव	कुल आवेदन
1	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा—2016	293	720	538	1282	1332	3872
2	सिविल जज मुख्य परीक्षा—2016	40	155	66	128	101	450
3	सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा—2017	25	4150	320	262	588	5320
4	सार्विटिफिक ऑफिसर (बॉटनी / फार्मार्कोगॉनासी)	1	65	13	15	59	152
5	सार्विटिफिक ऑफिसर (केमेस्ट्री)	1	79	19	4	66	168
6	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	46	2106	427	312	837	3682
7	ग्रथपाल	28	323	86	89	320	818
8	क्रीडाधिकारी	7	109	24	37	60	230
9	सहायक संचालक रेशम	8	806	537	979	1140	3462
10	लेक्चरर (मैकेनिकल)	1	62	4	4	74	144
11	लाइब्रेरीयन	1	23	6	3	28	60
12	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी	57	812	85	44	317	1258
13	सहायक संचालक हाथकरघा	6	1678	847	1210	2500	6235
14	रजिस्ट्रार	3	32	4	17	27	80
15	विधि अधिकारी	2	288	33	82	121	524
16	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	69	913	132	163	727	1935
17	सिविल जज मुख्य परीक्षा —2017	25	87	16	74	38	225
18	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा —2017	299	32856	17992	24938	46798	122584
19	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा—2017	26	2732	609	727	3082	7148 + 2 न्यायलयीन प्रकरण
20	वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा—2017	59	11112	4734	7299	15812	38957
कुल योग		997	59108	26492	37669	74027	190158

अध्याय - सात

परीक्षा

ऑनलाइन परीक्षा-

राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं के मामले में जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है एवं राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा तथा अन्य परीक्षाएं, जो कि विवरणात्मक (लिखित) प्रकार की होती है, को छोड़कर शेष परीक्षाएं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाती है। वर्ष 2017–18 में आयोजित ऑनलाइन परीक्षाओं में पदों की संख्या, आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या एवं ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है—

सं. क्र	पद का नाम	रिक्त पद	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1	सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा—2017	25	5320	3469
2	सांईटिफिक ऑफिसर (बॉटनी / फार्माकोग्नोनासी)	1	152	84
3	सांईटिफिक ऑफिसर (केमेस्ट्री)	1	168	86
4	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	46	3682	1924
5	ग्रंथपाल	28	818	453
6	क्रीडाधिकारी	7	230	144
7	सहायक संचालक रेशम	8	3462	1832
8	लेक्चरर (मैकेनिकल)	1	144	87
9	लाइब्रेरीयन	1	60	36
10	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी	57	1258	918
11	सहायक संचालक हाथकरघा	6	6235	3657
12	रजिस्ट्रार	3	80	52
13	विधि अधिकारी	2	524	238
14	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	69	1935	1566
15	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा—2017	26	7148	4174

ऑफलाइन परीक्षा-

वर्ष 2017–18 मे आयोजित ऑफलाइन/मैन्युवल परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है—

सं. क्र	परीक्षा का नाम	रिक्त पद	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	ऑफ लाईन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा—2016	293	3872	3493
2	सिविल जज मुख्य परीक्षा—2016	40	450	434
3	सिविल जज मुख्य परीक्षा —2017	25	225	217
4	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017	299	122584	102438
5	वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा—2017	59	38957	30006

आयोग की वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंक एवं साक्षात्कार के अंक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

अध्याय - आठ

अंतिम चयन

**आयोग द्वारा 01.04.2017 से 31.03.2018 तक जारी चयन सूची एवं पदवार अनुशंसित
अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-**

क्र.	विज्ञापन क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	पद संख्या	चयन सूची जारी होने की तिथि	मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की श्रेणीवार संख्या				मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या	चयनित आवेदकों की अनुशंसा हेतु पत्र शासन को भेजने की तिथि
						UR	SC	ST	OBC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	विज्ञापन क्रमांक 12/2016/परीक्षा दिनांक 02/12/2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 07.12.2016	श्रम विभाग	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	8	25/04/2017	2	0	0	0	2	01/05/2017
2	विज्ञापन क्रमांक 04/2016/परीक्षा /दिनांक 29.04. 2016, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 04.05.2016	आवास एवं पर्यावरण विभाग	सहायक संचालक, योजना, सहायक संचालक सर्वे	14	25/04/2017	3	0	1	1	5	01/05/2017
3	विज्ञापन क्रमांक 07/2016/परीक्षा /दिनांक 22.07. 2016, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 27.07.2016	परिवहन विभाग	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन उप निरीक्षक (तकनीकी)	35	25/04/2017	15	4	11	5	35	01/05/2017
4	विज्ञापन क्रमांक 02/2017/परीक्षा /दिनांक 10/02/2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 15.02.2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	रीडर— संहिता सिद्धान्त, रीडर— क्रिया शरीर, साईंटिफिक ऑफिसर (भा.चि.प.)	3	24/05/2017	3	0	0	0	3	05/06/2017

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

5	विज्ञापन क्रमांक 11 / 2014 / परीक्षा दिनांक 05 / 09 / 2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 10 / 09 / 2014, शुद्धि पत्र विज्ञापन क्र. 11 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 05.09. 2014 सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग), तथा शुद्धि पत्र क्र. 01 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 02.01. 2016	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक— अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, माईक्रोबायोलॉजी, गृह विज्ञान, वाणिज्य, रसायन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, टसरटेक्नोलॉजी, सेरिकल्वर, भूगर्भ शास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर साईंस, बॉयटेक्नोलॉजी, संस्कृत साहित्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, विधि	966	12/07/2017	264	63	70	68	465	20/07/2017, 29/07/2017, 30/07/2017, 31/07/2017, 01/08/2017
6	विज्ञापन क्र. 09 / 2014 / परीक्षा दिनांक 25.07.2014		सहायक प्राध्यापक दंत विकित्सा (चिकित्सा महाविद्यालय), सीनियर रेसीडेन्ट— दंतरोग (चिकित्सा महाविद्यालय), रेसीडेन्ट – विभिन्न विषय (दंत चिकित्सा महाविद्यालय), डेन्टल सर्जन— विभिन्न विषय (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	14	27/07/2017	9	0	0	0	9	02/08/2017
7	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2016 / परीक्षा दिनांक 24 / 09 / 2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 28 / 09 / 2016, शुद्धि पत्र क्र. 02 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 09.03. 2017	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सहायक संचालक उद्योग / प्रबंधक	52	12/08/2017	21	6	17	7	51	24/08/2017
8	विज्ञापन क्रमांक 08 / 2016 / परीक्षा दिनांक 03.09.2016	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश	40	23/09/2017	17	5	13	5	40	10/10/2017

9	विज्ञापन क्रमांक 03 / 2017 / परीक्षा दिनांक 17.02.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 22.02. 2017	गृह विभाग	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	46	27/10/2017	18	6	15	6	45	03/11/2017
10	विज्ञापन क्रमांक 07 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 26.05. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 31.05. 2017	ग्रामोद्योग विभाग	लेक्वरर—विविंग, टेक्स्टाईल डिजाईन, लेक्वरर—डाइग / प्रो सेसिंग / प्रिंटिंग / टेस्टिंग	3	24/11/2017	2	0	0	0	2	14/12/2017
11	विज्ञापन क्रमांक 02 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 10.02. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 15.02. 2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	साईटिफिक ऑफिसर (बॉटनी / फार्मसॉकोगोनो सी)	1	24/11/2017	1	0	0	0	1	13/12/2017
12	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 25.07. 2014, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 30.07.2014, शुद्धि पत्र क्रमांक 06 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 01.08. 2014 तथा शुद्धि पत्र क्र. 08 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 22.11. 2014	सहायक प्राध्यापक (फिजियोथे रेपी महाविद्याल य)	ORTHOPEDIC MUSCULOSKEL ETAL DISORDER, COMMUNITY BASE REHABILITATIO N, NEUROLOGY, CARDIO RESPIRATORY	4	25/11/2017	4	0	0	0	4	14/12/2017
		प्रदर्शक (फिजियोथे रेपी महाविद्याल य)	फिजियोथेरेपी	6		2	1	0	1	4	14/12/2017
13	विज्ञापन क्रमांक 05 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 17 / 04 / 2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23 / 04 / 2014	छ.ग. शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग	सहायक प्राध्यापक— बायोटेक्नोलॉजी, सहायक प्राध्यापक—बायो—इन फारमेटिक्स	2	25/11/2017	2	0	0	0	2	14/12/2017

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

14	विज्ञापन क्र. 11 / 2016 / परीक्षा दिनांक 23 / 11 / 2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26.11.2016	छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभिन्न 18 विभाग	राज्य सेवा परीक्षा—2016 विभिन्न 18 पद	293	30/12/2017	113	36	94	42	285	24/01/2018 , 27/01/2018 , 01/02/2018
15	विज्ञापन क्रमांक 04 / 2017 / परीक्षा /दिनांक 24.03. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 29.03. 2017	ग्रामोद्योग विभाग	सहायक संचालक, रेशम	8	11/01/2018	3	1	3	1	8	07/02/2018
16	विज्ञापन क्रमांक 01 / 2017 / परीक्षा /दिनांक 03.02. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 08.02. 2017	तकनीकी शिक्षा विभाग	ग्रथपाल, क्रीड़ाधिकारी	35	11/01/2018, 09/01/2018	14	4	6	5	29	07/02/2018
17	विज्ञापन क्रमांक 12 / 2017 / परीक्षा /दिनांक 05 / 10 / 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 11.10.2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	यूनानी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्स क (यूनानी)	30	11/01/2018	8	1	0	3	12	07/02/2018
18	विज्ञापन क्रमांक 07 / 2017 / परीक्षा /दिनांक 26.05. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 31.05. 2017	ग्रामोद्योग विभाग	लेक्चरर—मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लाइब्रेरियन	2	20-02-2018	2	0	0	0	2	28/02/2018
19	विज्ञापन क्रमांक 08 / 2017 / परीक्षा /दिनांक 02.06. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 07.06. 2017	ग्रामोद्योग विभाग	सहायक संचालक, हाथकरघा	6	20-02-2018	2	1	2	1	6	28/02/2018
20	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2017 / परीक्षा /दिनांक 15.06. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 21.06. 2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्स क (होम्यो.)	57	22-02-2018	21	8	10	8	47	28/02/2018
योग				1625		526	136	242	153	1057	

(विवरण परिशिष्ट—तीन में दर्शित)

अध्याय - नौ

राज्य सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में वैश्लेषिक ऑकड़े

राज्य सेवा परीक्षा—2016 में चयनित 285 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक—समाजिक स्तर की जानकारी

राज्य सेवा परीक्षा—2016 में कुल विज्ञापित पद—293

राज्य सेवा परीक्षा—2016 में कुल चयनित अभ्यर्थियों की संख्या—285

आयु समूह—

आयु समूह	संख्या	प्रतिशत		
आयु समूह 21-25	119	41.75	15.09	84.91 8.42 6.67
आयु समूह 26-30	123	43.16		
आयु समूह 31-35	24	8.42		
आयु समूह 36-40	13	4.56		
आयु समूह 41-45	6	2.11		
योग	285			

प्रदेश के एवं प्रदेश के बाहर के—

क्रमांक	क्षेत्र	संख्या
1-	छ.ग. के निवासी	282
2-	छ.ग. के बाहर के निवासी	3
	योग	285

ग्रामीण या शहरी परिवेश

क्रमांक	क्षेत्र	संख्या
1-	ग्रामीण	166
2-	शहरी	119
	योग	285

राज्य सेवा परीक्षा —2016 में कुल चयनित 285 अभ्यर्थियों में से स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों की संख्या—63

स्नातक स्तर पर विषयवार चयन		
विषय	चयनित	प्रतिशत
इंजिनियरिंग	137	48.07
विज्ञान	104	36.49
चिकित्सा	17	5.97
कला	18	6.32
वाणिज्य	6	2.11
कृषि	3	1.05
योग चयनित	285	100.00

अध्याय - दस

आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

1. आयोग द्वारा विज्ञापित प्रत्येक पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। हस्तालिखित आवेदन पत्र प्रणाली पूर्णतः बंद कर दी गई है।
2. आयोग के अधिकांश परीक्षा / चयन संबंधी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास किया गया है।
3. विज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की वर्गवार एवं जिलेवार जानकारी के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
4. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार या उससे कम होती है, उन सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन लिया जाता है।
5. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार से अधिक अथवा परीक्षा विवरणात्मक होती है, उन परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जाता है। ऑफलाइन (मैन्युवल) परीक्षाओं हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिका एवं मुख्य परीक्षा हेतु ओ.एम.आर. प्रश्न सह— उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है।
6. प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित (ऑनलाइन / ऑफलाइन) परीक्षा के बाद आयोग द्वारा आदर्श उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है।
7. सॉफ्टवेयर के माध्यम से साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार बोर्ड का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
8. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा में अपने पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन भरने के पश्चात्, प्राप्त कम्प्यूटराईज्ड पावर्टी को साक्षात्कार के समय जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
9. कम्प्यूटराईज्ड अंक सूची की सुविधा अभ्यर्थियों को दी जाती है।


(विवरण परिशिष्ट—चार में दर्शित)

अध्याय - ग्यारह

भर्ती नियम सेवा नियम

वर्ष 2017–18 में नये भर्ती नियम बनाने/संशोधन किये जाने के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों से कुल – 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से आयोग द्वारा 10 प्रकरणों में अभिमत/सहमति दी गई। तथा पूर्व वर्ष के लंबित 02 प्रकरणों पर अभिमत/सहमति दी गई इस प्रकार 12 प्रकरणों पर अभिमत/सहमति दी गई। शेष 02 प्रस्तावों में से 01 प्रस्ताव को विभाग से जानकारी के अभाव में मूलतः वापस किया गया तथा शेष 03 लंबित प्रस्ताव को अगले वर्ष अर्थात् 2018–19 के लिये आगे लाया गया। पिछले दो वर्षों में भर्ती नियम बनाने/संशोधन के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 11.1) में दर्शायी गई है। (विवरण परिशिष्ट—पांच में दर्शित)

विभागीय भर्ती नियम/ संशोधन के प्रस्तावों पर आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण




आरेख 11.1

अध्याय - बारह पदोन्नतियाँ

वर्ष 2017–18 में शासन के **27** विभागों के विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की कुल **88** बैठकें आयोजित की गई। उक्त बैठकों में कुल **1714** अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया तथा **830** अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की अनुशंसा की गई (आरेख 12.1)।

कुल पदोन्नति


विचारित	1714
अनुशंसित	830



आरेख 12.1

आयोग में आयोजित पदोन्नति समिति की बैठकों में प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु **121**, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु **133**, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु **57**, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु **500**, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी हेतु **19** अधिकारियों को आयोग द्वारा पदोन्नति हेतु अनुशंसित किया गया है। (आरेख 12.2)

अधिकारियों की संख्या	प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी	योग
विचारित	321	219	134	1015	25	1714
अनुशंसित	121	133	57	500	19	830



आरेख 12.2

विभागीय पदोन्नति के प्रस्तावों के निराकरण में प्रतिवेदन अवधि में सुधार हुआ है एवं शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से अधिकांश प्रकरणों में समय—सीमा के अंतर्गत ही पदोन्नति समिति की बैठकें संपन्न हुई हैं। विभागीय पदोन्नति के लिये प्रपत्र एवं चेकलिस्ट निर्धारित है, किन्तु अनेक विभागों द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजे जाने से समिति की बैठक आयोजित करने में विलंब होता है। विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से संबंधित आवश्यक अभिलेख, प्रमाण पत्र, वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों की उपलब्धता की जानकारी आदि आयोग को प्रस्ताव के साथ ही भेजे जाने चाहिये। पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन में मुख्य बाधा वांछित गोपनीय प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता, वरिष्ठता संबंधी विवादों/अभ्यावेदनों का निराकरण नहीं हो पाने से उत्पन्न होती हैं। (**पदवार पदोन्नति विवरण परिशिष्ट—छ: में दर्शित**)


अध्याय - तेरह

अनुशासनिक मामले

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के तहत ऐसे मामलों के संबंध में, यदि कोई हो, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना है।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3)(ग) के अंतर्गत प्राप्त हुए 70 प्रकरणों पर आयोग द्वारा विचारोपांत अभिमत दिया गया। (**(विवरण परिशिष्ट— सात में दर्शित)**)

विगत दो वर्षों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 13.1) में दर्शायी गई है।



आरेख 13.1

अध्याय - चौदह

वित्त

वित्त:-

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के वित्त प्रभाग के प्रमुख आयोग के सचिव होते हैं, जो राज्य शासन द्वारा पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा आयोग के वित्तीय मामलों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी होते हैं। वित्त प्रभाग आयोग का बजट तैयार करने तथा वित्तीय मामले में व्यय नियंत्रण एवं निगरानी के संबंध में आयोग को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है। आयोग के बजट एवं वित्तीय सलाहकार के लिए वित्त विभाग से उप संचालक(वित्त) की पदस्थापना राज्य शासन द्वारा की गई है, जो वित्तीय पृष्ठभूमि वाले राज्य वित्त सेवा के अधिकारी होते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बजटीय स्थिति:-

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर एक संवैधानिक संस्था है, जिसे संविधान द्वारा कठिपय महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य शासन के अधीन राज्य प्रशासनिक स्तर के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं का संचालन शामिल है। राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 19,01,00,000=00 का बजट प्रावधान किया गया था, जो मुख्यतः आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन एवं स्थापना व्यय के लिए था। परीक्षाओं का संचालन पूर्व-निर्धारित समय-सारणी के अनुसार किया जाना होता है और इसलिए व्यय एक प्रतिबद्ध दायित्व है, जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता। परीक्षा एवं चयन पर व्यय सीधे आयोग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं एवं भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। उक्त बजट में से रु 14,12,63,154=00 का व्यय हुआ तथा राशि रु. 4,88,36,846=00 की बचत हुई। बचत मुख्यतः वेतन मदों में हुई, जिसका कारण रिक्त पदों का होना है। बचत राशि रु. 4,88,36,846=00 का समर्पण किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयोजित परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क से कुल राशि 7,46,36,450.00 राजस्व प्राप्ति हुई। पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए प्रावधानों तथा निधि के उपयोग के संबंध में स्थिति तालिका-1 में एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त राजस्व प्राप्ति की जानकारी तालिका-2 में दी गई है :—

तालिका - 1

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	व्यय का प्रतिशत (%)
2017-18	1901.00	1412.63	488.36	74.31%

तालिका - 2

वित्तीय वर्ष	राजस्व प्राप्ति	रिमार्क
2017-18	7,46,36,450.00	भारतीय स्टेट बैंक, मेन ब्रांच में विभिन्न चालानों के माध्यम से शासकीय कोष में राजस्व प्राप्ति राशि को जमा किया गया।

(विवरण परिशिष्ट-आठ में दर्शित)

अध्याय - पंद्रह

न्यायालयीन प्रकरण

प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त एवं निराकृत विधिक प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार रही :-

क्रमांक	विवरण	प्रकरण संख्या		
		मान. उच्च न्यायालय में	मान. उच्चतम न्यायालय में	योग
01	दिनांक 01.04.2017 को लंबित प्रकरण संख्या	392	1	393
02	दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक दर्ज नवीन प्रकरण संख्या	96	0	96
03	कुल लंबित प्रकरण संख्या	488	1	489
04	दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक निराकृत प्रकरण संख्या	45	0	45
05	दिनांक 31.03.2018 को लंबित प्रकरण संख्या	443	1	444
06	निराकृत प्रकरणों का विवरण – (1) आयोग के पक्ष में (2). आयोग के विरुद्ध	28 17	0 0	28 17

अध्याय - सोलह

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रकरणों के निराकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जनसूचना अधिकारी (सामान्य), जनसूचना अधिकारी (परीक्षा) एवं अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियां एवं उनको प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	जनसूचना/अपीलीय अधिकारी	दूरभाष क्रमांक
1	श्रीमती पुष्पा साहू	सचिव	अपीलीय अधिकारी	0771-2331204
2	श्री जे.एस. गोंड	अवर सचिव	जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	0771-2331204
3	श्री जे.एस. नायक	उप परीक्षा नियंत्रक	जन सूचना अधिकारी (परीक्षा)	0771-2331204

सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण :-

शाखा	विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग कॉलम (2+3)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	—	104	104	77	27	104	—
जनसूचना अधिकारी (परीक्षा)	—	872	872	868	04	872	—
योग	—	976	976	945	31	976	—

प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा निराकृत किये गये अपीलों का विवरण:-

विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त अपील प्रकरण की संख्या	योग	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	कुल निराकृत अपील	वर्ष के अंत में शेष अपीलों की संख्या
13	83	96	12	57	69	27

वेबसाइट पर सूचना का अधिकार-2005 के अंतर्गत जानकारी देना-

1. आयोग तथा छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी के स्व-सक्रिय प्रगटीकरण की व्यवस्था की गई है।
2. प्रत्येक माह परीक्षा अनुभाग, सामान्य अनुभाग एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या, पूर्व माह के लंबित आवेदनों की संख्या, उस माह में कुल निराकृत आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों की संख्या का विवरण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर जानकारी सार्वजनिक की जाती है।

अध्याय - सत्रह

प्रस्तावित कार्य योजना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बाद से ही आयोग की प्रक्रियाओं में कम्प्यूटर तकनीकी के प्रयोग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। शुरुआती दौर में आउटसोर्सिंग के द्वारा कतिपय प्रक्रियाओं में कम्प्यूटर तकनीकी का प्रयोग किया गया। आयोग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की गोपनीय एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्सिंग को न्यून करने के उद्देश्य से आयोग में तकनीकी अमलों की पदस्थापना की गई। वर्तमान में आयोग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में से सभी प्रकार के आवेदनों एवं सीमित आवेदक संख्या वाली परीक्षाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है, जिनको आयोग स्तर पर तकनीकी अमले की मदद से नियंत्रित व प्रबंधित किया जाता है।

कम्प्यूटरीकृत प्रक्रियाओं के विकास के द्वारा आयोग के कार्यों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करके, प्रक्रियाओं को त्रुटिविहीन एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु कतिपय अनुशंसाओं के साथ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर कार्यवाही लंबित है। अनुशंसा अनुरूप नवीन पदों की स्वीकृति के साथ ही आयोग द्वारा कुछ अति संवेदनशील प्रक्रियाओं में आउटसोर्सिंग को समाप्त करने तथा अनेक प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन करने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकेगा—

1. ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिकाओं की स्केनिंग तथा मूल्यांकन कार्य में आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाना-

जाना- वर्तमान में ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिकाओं की स्केनिंग तथा मूल्यांकन कार्य हेतु सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से कार्य करवाया जाता है। आयोग में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों जो ओ.एम.आर. प्रक्रियाओं के परिचालन में दक्ष हैं, के साथ कार्य करने हेतु कुछ कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा आउटसोर्सिंग को समाप्त कर आयोग के व्यय को कम करने के साथ ही उक्त संवेदनशील प्रक्रिया में बाहरी व्यक्तियों के शामिल होने से कार्य की गोपनीयता तथा सूचिता को दूषित होने से रोका जा सकेगा।

2. वन टाइम आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन- वर्ष 2011 से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी प्रकार के आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं। वर्तमान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को हर बार व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक अर्हता, कार्य अनुभव एवं अन्य जानकारियों की प्रविष्टि तथा फोटो व हस्ताक्षर की अपलोडिंग नए सिरे से करनी होती है। उक्त प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को हर बार प्रविष्टियों एवं अपलोडिंग हेतु समय देना होता है, जिसके लिए उन्हें कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार अतिरिक्त समय व धन (साइबर कैफे शुल्क) / अधोसंरचना की

आवश्यकता पड़ती है। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी के शुरुआती स्तर पर वैधता परीक्षण का विकल्प न होने तथा परीक्षा के समय परीक्षार्थियों की पहचान की पुख्ता व्यवस्था न होने से यह प्रक्रिया आयोग हेतु कुछ समस्याओं का कारण बनती है।

यदि उक्त प्रक्रिया को आधार बेस्ड कर दिया जाए तो ऑनलाइन आवेदन के साथ—साथ परीक्षा के समय अभ्यर्थियों की सटीक पहचान संभव हो सकेगी। वन टाइम आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन के द्वारा अभ्यर्थी को उन्हीं विज्ञापनों के लिंक उपलब्ध हो सकेंगे जिनके लिए वे अर्ह हों साथ ही उपलब्ध लिंक से संबंधित विज्ञापन में रुचि होने पर अभ्यर्थी को केवल अपनी सहमति दर्शित करते हुए आवश्यक शुल्क जमा करना होगा। इस प्रकार अभ्यर्थियों के समय व धन की हानि को रोका जा सकेगा। इस प्रक्रिया से आयोग की कार्य प्रणाली में भी अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन हो सकेंगे।

- 3. विभागीय पदोन्नति/जांच, भर्ती नियम के अनुमोदन व मांग पत्र प्रेषित करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना-** आयोग की स्थापना के समय से ही आयोग द्वारा समय—समय पर विभागीय पदोन्नति / जांच, भर्ती नियम के अनुमोदन व मांग—पत्र प्राप्ति के लिए आवश्यक जानकारी की सूची व प्रारूप संशोधित कर विभागों को उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, जिससे उक्त प्रक्रिया द्रुत गति से संपन्न हो सके। प्रायः यह देखा गया है कि विभागों द्वारा अधूरी एवं निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जो अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण होने से कार्यवाही योग्य नहीं होते हैं। उक्त त्रुटियों के निवारण अथवा अतिरिक्त जानकारी हेतु विभागों से अनेक पत्राचार करने होते हैं, जिससे कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त करने की व्यवस्था निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभागों से एक ही बार में पदोन्नति / विभागीय जांच / भर्ती नियम अनुमोदन / मांग पत्र के लिए आवश्यक, सम्पूर्ण एवं कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से परीक्षित जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे संबंधित कार्यवाही में तेजी आएगी। ऑनलाइन प्रक्रियाओं में कम्प्यूटरीकृत गणनाएं, वैधता परीक्षण, डाटा लिंकिंग एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समावेश से लिपिकीय त्रुटियों को समाप्त किया जा सकेगा, साथ ही प्रक्रियाएं समस्त संबंधितों हेतु अधिकतम पारदर्शी हो सकेंगे। इस प्रकार न्यायालयीन वाद की स्थितियों की संभावना समाप्त की जा सकेगी।
- 4. आयोग कार्यालय को पेपरलेस किया जाना-** वर्तमान में आयोग कार्यालय में नस्तियों के संचलन की प्रक्रिया पूर्णतः मैन्युवल होने के कारण इस कार्य हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, साथ ही नस्तियों की ट्रेकिंग का कार्य भी अत्यंत जटिल एवं समय की हानि करने वाला होता है। आयोग कार्यालय की समस्त आंतरिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर आयोग कार्यालय को पेपरलेस किए जाने की योजना है, इससे नस्तियों का समयबद्ध संचलन एवं समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अध्याय - अठारह

कृतज्ञता ज्ञापन

स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमानुसार संपूर्ण सूचिता के साथ किए गए कार्यों से ही किसी भी संस्थान की स्थापना का उद्देश्य सार्थक सिद्ध हो सकता है। संविधान के भाग 14 अध्याय 2 अनुच्छेद 315 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। समग्र राज्य हेतु लोक सेवकों के चयन एवं पदोन्नति के साथ—साथ राज्य के विभिन्न विभागों हेतु भर्ती नियमों का अनुमोदन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक दायित्व है।

संविधान के अनुच्छेद 323 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष राज्य के माननीय राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से लोक सेवा आयोग अपने साल भर के क्रिया कलापों तथा उपलब्धियों के साथ—साथ भावी कार्य योजनाओं को माननीय राज्यपाल तथा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष 2017–18 में आयोग द्वारा संपादित कार्यों का समग्र प्रस्तुतीकरण वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

आयोग, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए अनके प्रति आभार व्यक्त करता है। आयोग अपने अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों के कठोर परिश्रम और दक्षता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन की भी हार्दिक सराहना करता है जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सफल रहा है।



पुष्पा साहू
सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग

दिनांक — 04.10.2018

परिशिष्ट - एक

आयोग के पदाधिकारियों का जीवन वृत्तान्त

श्री कृष्णाराम पिस्ता	अध्यक्ष
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	17 / 01 / 2017
जन्मतिथि	02.06.1958
शिक्षा	एम0ए0 (अर्थशास्त्र), पी.एच.डी. (नक्सलवाद तथा आदिवासी क्षेत्र के आर्थिक स्थिति पर प्रभाव—दंतेवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)
सेवा विवरण / पदस्थापना	<p><u>राज्य प्रशासनिक सेवा (1982 बैच):-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुविभागीय अधिकारी, छिंदवाड़ा, सौसर (जिला छिंदवाड़ा) होशंगाबाद, पिपरिया (जिला होशंगाबाद), खरसिया, घरघोड़ा (जिला रायगढ़) 2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) 3. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रायसेन (म.प्र.) 4. अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा (म.प्र.) 5. उपायुक्त (राजस्व), जबलपुर (म.प्र.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.) <p><u>भारतीय प्रशासनिक सेवा (1996 बैच)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर 3. संचालक, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ रायपुर 4. आयुक्त, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़ रायपुर 5. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर मिशन संचालक, माध्यमिक शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर 6. आयुक्त, भू— अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, 8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन शिकायत निवारण विभाग, 10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग
शासकीय सेवा से सेवा निवृत्ति की तिथि	16 जनवरी 2017

श्री शिव नारायण पाण्डेय	: सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	: 05.12.2014
जन्म तिथि	: 01.01.1962
शिक्षा	: बी.एस.सी., एल.एल.बी.
सेवा विवरण / पदस्थापना	<ul style="list-style-type: none"> ● स्टेट बार कॉसिल ऑफ छ.ग. में दस वर्षों तक सदस्य। ● बार कॉसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति का दो वर्ष सदस्य। ● विगत 28 वर्ष विधि सलाहकार अधिवक्ता। ● जिला सहकारी बैंक बस्तर जगदलपुर में 05 वर्षों तक उपाध्यक्ष के पद पर (वर्ष 2008 से 2012 तक)

श्री मोहन लाल मण्डावी	: सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	: 10 / 11 / 2015
जन्मतिथि	: 01 / 05 / 1957
शिक्षा	: एम.ए. इतिहास
सेवा विवरण / पदस्थापना –	<ul style="list-style-type: none"> ● सदस्य, राज्य शिक्षा आयोग छ.ग.

श्री सुकृत लाल साव	सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	22 / 05 / 2017
जन्मतिथि	03 / 04 / 1960
शिक्षा	एम.एस.सी. (जन्तु विज्ञान)
सेवा विवरण / पदस्थापना	<p>1 1982–84 वन क्षेत्रपाल, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर (म.प्र)</p> <p>2 1984–86 राज्य वन सेवा प्रशिक्षण, राज्य वन सेवा महाविद्यालय, देहरादून</p> <p>3 1986–87 सहा.वन संरक्षक (परिवीक्षाधीन) कोणडागांव वनमंडल कोणडागांव बस्तर</p> <p>4 1987–92 उप प्रबंधक, कार्या वनसंरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर</p> <p>5 1992–95 अनुविभागीय अधिकारी, रेहण्ड उप वनमंडल उत्तर सरगुजा वनमंडल अंबिकापुर, सरगुजा</p> <p>6 1995–03(i) प्रभारी वनमंडलाधिकारी (भू—प्रबंध) राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव (ii) प्रभारी आरेंज एरिया इकाई, राजनांदगांव (iii) अनुविभागीय अधिकारी (उत्पा.) राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव (iv) अनुविभागीय अधिकारी, मानपुर उप वनमंडल राजनांदगांव</p> <p>7. 2003–04 सहायक वन संरक्षक कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन रायपुर</p> <p>8. 2004–06 वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल रायगढ़</p> <p>9. 2006–08 वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल जगदलपुर</p> <p>10. 2008–09 उप महाप्रबंधक, कार्या. प्रबंध संचालक छ.ग.रा.लघु वनोपज संघ रायपुर</p> <p>11. 2009–11 वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़</p> <p>12. 2011–14 उप वनसंरक्षक कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग रायपुर</p>

	13.	2014–16	वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, छ.ग. रायपुर
	14.	2016–17	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर
	15.	2017	सदस्य छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर
विदेश यात्रा	1.	2015	फिनलैंड
	2.	2015	एस्टोनिया
	3.	2015	रूस
शा. सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि	16 मई 2017		

डॉ. मोतीलाल बाचकर	: सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	: 05 / 10 / 2017
जन्मतिथि	: 02 / 01 / 1961
शिक्षा	: एम.बी.बी.एस, एम.डी. मेडिसीन
सेवा विवरण / पदस्थापना	<ul style="list-style-type: none"> ● खण्ड चिकित्सा अधिकारी 1990 से 2001 तक ● सामु. स्वा. केन्द्र मानपुर में वर्ष 1990 से 1994 तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी ● सामु. स्वा. केन्द्र बोडल में वर्ष 1994 से 2001 तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी ● सामु. स्वा. केन्द्र पंडरिया में वर्ष 2001 से 2007 तक (मेडिकल ऑफिसर) ● मेडिकल स्पेशलिस्ट ● सामु. स्वा. केन्द्र पंडरिया में वर्ष 2007 से 2014 तक मेडिकल स्पेशलिस्ट ● जिला चिकित्सालय कवर्धा में वर्ष 2014 से 2017 तक मेडिकल स्पेशलिस्ट ● सिविल सर्जन एवं सह अस्पताल अधीक्षक सितम्बर 2017 से 04 अक्टूबर 2017 तक
शा.सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि	04 अक्टूबर 2017

परिशिष्ट - दो

आयोग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी (दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में)

क्र.	पद का नाम	वेतन बेण्ड	ग्रेड – पे	लेवल	पद संख्या		
					स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	माननीय अध्यक्ष	80,000	-	Level-17 (Center Govt.)	1	1	-
2.	माननीय सदस्य	67,000-79000	-	Level-15 (Center Govt.)	4	4	-
3.	सचिव	37,400-67,000	8,700	Level-13 (Center Govt.)	1	1	-
4.	विधिक सलाहकार	70,290-1,540- 76,450	-	-	1	1	-
5.	उप सचिव	15,600-39,100	7,600	Level-14	1	1	-
6.	परीक्षा नियंत्रक	15,600-39,100	6,600	Level-13	1	1	-
7.	सीनियर मैनेजर इन्फर्मेशन सिस्टम (आउटसोर्सिंग / संविदा)	37400-67000	8700	Level-15	1	-	1
8.	मैनेजर इन्फर्मेशन सिस्टम (आउटसोर्सिंग / संविदा)	15600-39100	7600	Level-14	1	-	1
9.	अवर सचिव	15,600-39,100	6,600	Level-13	2	2	-
10.	उप संचालक (वित्त)	15,600-39,100	6,600	Level-13	1	1	-
11.	स्टॉफ ऑफिसर	15,600-39,100	6,600	Level-13	1	1	-
12.	वरिष्ठ प्रोग्रामर (आउटसोर्सिंग / संविदा)	15,600-39,100	6,600	Level-13	2	-	2
13.	अपर परीक्षा नियंत्रक	15,600-39,100	5,400	Level-12	1	1	-
14.	विधि अधिकारी	15,600-39,100	5,400	Level-12	1	-	1
15.	प्रोग्रामर	15,600-39,100	5,400	Level-12	2	2	-

16.	सांख्यिकी अधिकारी	15,600-39,100	5,400	Level-12	1	-	1
17.	उप परीक्षा नियंत्रक	9,300-34,800	4,400	Level-10	1	1	-
18.	अनुभाग अधिकारी	9,300-34,800	4,800	Level-11	7	5	2
19.	निज सचिव	9,300-34,800	4,800	Level-11	2	1	1
20.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	9,300-34,800	4,300	Level-09	1	1	-
21.	सहायक प्रोग्रामर	9,300-34,800	4,300	Level-09	1	1	-
22.	सहायक प्रोग्रामर (संविदा)	9,300-34,800	4,300	Level-09	2	-	2
23.	शीघ्रलेखक / निजसहायक	9,300-34,800	4,300	Level-09	3	1	2
24.	सहायक ग्रेड-1	9,300-34,800	4,300	Level-09	16	9	7
25.	ग्रंथपाल	9,300-34,800	4,200	Level-08	1	-	1
26.	स्टोर कीपर	9,300-34,800	4,200	Level-08	1	-	1
27.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	5,200-20,200	2,800	Level-07	5	3	2
28.	सहायक ग्रेड-2	5,200-20,200	2,400	Level-06	16	16	-
29.	डाटा एन्ड्री आपरेटर	5,200-20,200	2,400	Level-06	4	4	-
30.	स्टेनोटायपिस्ट	5,200-20,200	1,900	Level-04	3	-	3
31.	सहायक ग्रेड-3	5,200-20,200	1,900	Level-04	32	7	25
32.	वाहन चालक	5,200-20,200	1,900	Level-04	8	6	2
33.	वाहन चालक (अस्थायी)	5,200-20,200	1,900	Level-04	2	2*	-
34.	दफतरी	4,750-7,440	1,400	Level-02	3	3	-
35.	जमादार	4,750-7,440	1,400	Level-02	1	1	-
36.	डाक रनर	4,750-7,440	1,300	Level-01	2	-	2
37.	भृत्य	4,750-7,440	1,300	Level-01	16	10	6
38.	फर्राश	4,750-7,440	1,300	Level-01	2	1	1
39.	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	-	-	-	1	1	-
40.	भृत्य (कलेक्टर दर)	-	-	-	8	8	-

परिशिष्ट - तीन

अंतिम चयन

**आयोग द्वारा 01.04.2017 से 31.03.2018 तक जारी चयन एवं पदवार
अनुशंसित अभ्यर्थियों की सख्त्या की जानकारी निम्नानुसार है:-**

क्र.	विज्ञापन क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	पद संख्या	चयन सूची जारी होने की तिथि	मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या	चयनित आवेदकों की अनुशंसा हेतु पत्र शासन को भेजने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विज्ञापन क्रमांक 12/2016/परीक्षा दिनांक 02/12/2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 07.12.2016	श्रम विभाग	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	8	25/04/2017	2	01/05/2017
2	विज्ञापन क्रमांक 04/2016/परीक्षा/दिनांक 29.04.2016, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 04.05.2016	आवास एवं पर्यावरण विभाग	सहायक संचालक, योजना	12	25/04/2017	3	01/05/2017
			सहायक संचालक, सर्वे	2	25/04/2017	2	01/05/2017
3	विज्ञापन क्रमांक 07/2016/परीक्षा/दिनांक 22.07.2016, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 27.07.2016	परिवहन विभाग	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	15	25/04/2017	15	01/05/2017
			परिवहन उप निरीक्षक (तकनीकी)	20	25/04/2017	20	01/05/2017
4	विज्ञापन क्रमांक 02/2017/परीक्षा/दिनांक 10/02/2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 15.02.2017	स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	रीडर, संहिता सिद्धान्त	1	24/05/2017	1	05/06/2017
			रीडर, क्रिया शरीर	1		1	
			साईटफिक ऑफिसर (भा.चि.प.)	1		1	
5	विज्ञापन क्रमांक 11/2014/परीक्षा दिनांक 05/09/2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 10/09/2014, शुद्धि पत्र विज्ञापन क्र. 11/2014/परीक्षा/दिनांक 05.09.2014 सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग), तथा शुद्धि पत्र क्र. 01/2016/परीक्षा/दिनांक 02.01.2016	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक— अंग्रेजी	85	12/07/2017	2	20/07/2017

		सहायक प्राध्यापक— भौतिकशास्त्र	42	12/07/2017	10	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— राजनीतिशास्त्र	61	12/07/2017	50	01/08/2017
		सहायक प्राध्यापक— हिन्दी	73	12/07/2017	68	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— संस्कृत	11	12/07/2017	11	30/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— माइक्रोबायोलॉजी	2	12/07/2017	2	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— गृह विज्ञान	13	12/07/2017	5	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— वाणिज्य	154	12/07/2017	68	31/08/2017
		सहायक प्राध्यापक— रसायनशास्त्र	100	12/07/2017	59	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— गणित	40	12/07/2017	9	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— अर्थशास्त्र	56	12/07/2017	23	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— इतिहास	29	12/07/2017	16	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— वनस्पतिशास्त्र	80	12/07/2017	1	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— प्राणीशास्त्र	75	12/07/2017	34	01/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— भूगोल	53	12/07/2017	43	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— समाजशास्त्र	53	12/07/2017	42	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— टसरटेक्नोलॉजी	1	12/07/2017	निरंक	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— सेरिकल्वर	3	12/07/2017	निरंक	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— भू—गर्भशास्त्र	7	12/07/2017	2	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— मानवशास्त्र	1	12/07/2017	1	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— मनोविज्ञान	3	12/07/2017	2	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— कम्प्यूटर साईंस	6	12/07/2017	5	31/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— बॉयोटेक्नोलॉजी	2	12/07/2017	1	29/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— संस्कृत साहित्य	1	12/07/2017	1	29/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— सूचना प्रौद्योगिकी	1	12/07/2017	1	20/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— कम्प्यूटर एप्लीकेशन	7	12/07/2017	5	29/07/2017
		सहायक प्राध्यापक— विधि	7	12/07/2017	4	29/07/2017

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

6	विज्ञापन क्र. 09 / 2014 / परीक्षा दिनांक 25.07.2014		सहायक प्राध्यापक दंत चिकित्सा (चिकित्सा महाविद्यालय)	1	27/07/2017	निरंक	02/08/2017
			सीनियर रेसीडेन्ट – दंतरोग (चिकित्सा महाविद्यालय)	1		निरंक	02/08/2017
			रेसीडेन्ट – ओरल मैक्सिलोफैसियल सर्जरी (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		1	02/08/2017
			रेसीडेन्ट ओरल पैथोलॉजी (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		1	02/08/2017
			रेसीडेन्ट – प्रोस्थोडोन्टिक्स क्राउन एंड ब्रीज (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		1	02/08/2017
			रेसीडेन्ट – पेरियोडोन्टिक्स (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		1	02/08/2017
			रेसीडेन्ट – कन्जरवेटिव डेन्टिस्ट्री एंड एंडोडोन्टिक्स (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	2		1	02/08/2017
			रेसीडेन्ट – आर्थोडोन्टिक्स (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		1	02/08/2017
			रेसीडेन्ट – कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		1	02/08/2017
			डेन्टल सर्जन – कन्जरवेटिव डेन्टिस्ट्री एंड एंडोडोन्टिक्स (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		निरंक	02/08/2017
			डेन्टल सर्जन – ओरल मैक्सिलोफैसियल सर्जरी (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		1	02/08/2017
			डेन्टल सर्जन – पिडोडोन्टिक्स (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		निरंक	02/08/2017
			डेन्टल सर्जन – ओरल मेडिसीन एवं रेडियोलॉजी (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)	1		1	02/08/2017
7	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2016 / परीक्षा दिनांक 24 / 09 / 2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 28 / 09 / 2016, शुद्धि पत्र क्र. 02 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 09.03.2017	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सहायक संचालक उद्योग / प्रबंधक	52	12/08/2017	51	24/08/2017
8	विज्ञापन क्रमांक 08 / 2016 / परीक्षा दिनांक 03.09.2016	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश	40	23/09/2017	40	10/10/2017

9	विज्ञापन क्रमांक 03/2017 / परीक्षा दिनांक 17.02.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 22.02.2017	गृह विभाग	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	46	27/10/2017	45	03/11/2017
10	विज्ञापन क्रमांक 07/2017 / परीक्षा / दिनांक 26.05.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 31.05.2017	ग्रामोद्योग विभाग	लेक्चरर—विविंग	1	24/11/2017	1	14/12/2017
लेक्चरर—टेक्स्टाइल डिजाइन	1		निरंक	14/12/2017			
लेक्चरर—डाईग / प्रोसेसिंग / प्रिंटिंग / टेरिंग	1		1	14/12/2017			
11	विज्ञापन क्रमांक 02/2017 / परीक्षा / दिनांक 10.02.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 15.02.2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	साईंटिफिक ऑफिसर (बॉटनी / फार्मेकोग्नोसी)	1	24/11/2017	1	13/12/2017
12	विज्ञापन क्रमांक 09/2014 / परीक्षा / दिनांक 25.07.2014, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 30.07.2014, शुद्धि पत्र क्रमांक 06/2014 / परीक्षा / दिनांक 01.08.2014 तथा शुद्धि पत्र क्र. 08/2014 / परीक्षा / दिनांक 22.11.2014	सहायक प्राध्यापक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय)	ORTHOPEDIC MUSCULOSKELETAL DISORDER	1	25/11/2017	1	14/12/2017
COMMUNITY BASE REHABILITATION	1		1	14/12/2017			
NEUROLOGY	1		1	14/12/2017			
CARDIO RESPIRATORY	1		1	14/12/2017			
प्रदर्शक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय)	6		4	14/12/2017			
13	विज्ञापन क्रमांक 05/2014 / परीक्षा / दिनांक 17/04/2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23/04/2014	छ.ग. शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग	सहायक प्राध्यापक— बायोटेक्नोलॉजी	1	25/11/2017	1	14/12/2017
सहायक प्राध्यापक—बायो— इनफारमेटिक्स	1		1	14/12/2017			
14	विज्ञापन क्र. 11/2016 / परीक्षा दिनांक 23/11/2016 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26.11.2016	छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभिन्न 18 विभाग राज्य सेवा परीक्षा—2016	राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग	10	30/12/2017	10	24/01/2018
राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक गृह (पुलिस) विभाग	34		34	24/01/2018			
छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी छ.ग. राज्य वित्त सेवा वित्त एवं योजना विभाग	11		11	24/01/2018			

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

		वाणिज्यक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग	3		3	24/01/2018
		अधीक्षक, जिला जेल गृह (जेल) विभाग	1		1	24/01/2018
		सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सहकारिता विभाग	4		4	24/01/2018
		श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग	3		3	24/01/2018
		जिला महिला बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	1		1	27/01/2018
		सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	2		2	27/01/2018
		छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग	40		37	27/01/2018
		बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	16		16	27/01/2018
		अधीनस्थ सिविल सेवा नायब तहसीलदार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	81		76	27/01/2018
		सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	14		14	27/01/2018
		आबकारी उप निरीक्षक वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	11		11	01/02/2018
		उप पंजीयक वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	2		2	01/02/2018
		वाणिज्यिक कर निरीक्षक वाणिज्यिक कर विभाग	22		22	01/02/2018
		सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारिता विभाग	32		32	01/02/2018
		सहायक जेल अधीक्षक गृह (जेल) विभाग	6		6	01/02/2018

15	विज्ञापन क्रमांक 04 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 24.03.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 29.03.2017	ग्रामोद्योग विभाग	सहायक संचालक, रेशम	8	11/01/2018	8	07/02/2018
16	विज्ञापन क्रमांक 01 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 03.02.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 08.02.2017	तकनीकी शिक्षा विभाग	ग्रंथपाल	28	11/01/2018	22	07/02/2018
			क्रीड़ाधिकारी	7	09/01/2018	7	07/02/2018
17	विज्ञापन क्रमांक 12 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 05 / 10 / 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 11.10.2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	यूनानी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक (यूनानी)	30	11/01/2018	12	07/02/2018
18	विज्ञापन क्रमांक 07 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 26.05.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 31.05.2017	ग्रामोद्योग विभाग	लेक्चरर-मैकेनिकल इंजीनियरिंग	1	20-02-2018	1	28/02/2018
			लाइब्रेरियन	1	20-02-2018	1	28/02/2018
19	विज्ञापन क्रमांक 08 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 02.06.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 07.06.2017	ग्रामोद्योग विभाग	सहायक संचालक, हाथकरघा	6	20-02-2018	6	28/02/2018
20	विज्ञापन क्रमांक 09 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 15.06.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 21.06.2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक (होम्यो.)	57	22-02-2018	47	28/02/2018
योग				1625		1057	

**परिशिष्ट - चार
सूचना-प्रौद्योगिकी
01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए**

- **ऑनलाइन आवेदनों का आयोग की वेबसाइट पर प्रगटीकरण-** इस अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी शीर्ष से परिशिष्ट तैयार करने के साथ—साथ निम्न विज्ञापनों का आयोग की वेबसाइट पर प्रगटीकरण किया गया—
 - ✓ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) –2017
 - ✓ रजिस्ट्रार—2017
 - ✓ लेक्चरर एवं लाईब्रेरियन (ग्रामोद्योग विभाग)—2017
 - ✓ सहायक संचालक, हाथकरघा—2017
 - ✓ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक—2017
 - ✓ विधि अधिकारी (गृह (जेल) विभाग)—2017
 - ✓ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक—2017
 - ✓ यूनानी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक—2017
 - ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा—2017
 - ✓ राज्य सेवा परीक्षा—2017
 - ✓ छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा—2017
 - ✓ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हेतु विभिन्न पद—2018
 - ✓ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पद—2018
 - ✓ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक, रसायन एवं जीव)–2018
- **संवीक्षा अनुभाग को ऑनलाइन आवेदन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराना-** उपरोक्त विज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की वर्गवार जानकारी एवं परीक्षा जिलेवार जानकारी संवीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराई गई। संवीक्षा अनुभाग इन्ही आंकड़ों के आधार पर परीक्षा केन्द्रों की संख्या का निर्धारण एवं बैठक व्यवस्था की तैयारी करता है।
- **प्रवेश पत्रों की डिजाइन एवं आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना-** निम्न परीक्षाओं हेतु प्रवेश पत्रों की डिजानिंग की गई एवं अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा दिवस के 10 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए—

- ✓ राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा—2016 (**18, 19, 20, 21 मई 2017**)
- ✓ व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा—2016 (**28 मई 2017**)
- ✓ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा—2017 (**25 जून 2017**)
- ✓ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा—2017 (**9 जुलाई 2017**)
- ✓ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक, रसायन, जीव)—2017 (**9 जुलाई 2017**)
- ✓ ग्रंथपाल—2017 (**9 जुलाई 2017**)
- ✓ क्रीड़ा अधिकारी—2017 (**9 जुलाई 2017**)
- ✓ सहायक संचालक, रेशम—2017 (**23 जुलाई 2017**)
- ✓ लेक्चरर (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) (ग्रामोद्योग विभाग)—2017 (**13 अक्टूबर 2017**)
- ✓ लाईब्रेरियन (ग्रामोद्योग विभाग)—2017 (**13 अक्टूबर 2017**)
- ✓ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक—2017 (**13 अक्टूबर 2017**)
- ✓ सहायक संचालक, हाथकरघा—2017 (**18 नवम्बर 2017**)
- ✓ विधि अधिकारी परीक्षा—2017 (**22 दिसम्बर 2017**)
- ✓ रजिस्ट्रार परीक्षा—2017 (**22 दिसम्बर 2017**)
- ✓ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक—2017 (**25 जनवरी 2018**)
- ✓ व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा—2017 (**11 फरवरी 2018**)
- ✓ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2017 (**18 फरवरी 2018**)
- ✓ राज्य अभियांत्रकी सेवा परीक्षा—2017 (**25 फरवरी 2018**)
- ✓ छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा—2017 (**25 मार्च 2018**)
- **ऑनलाईन परीक्षा**—उपरोक्त अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग की देख—रेख में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न ऑनलाईन परीक्षाएं आयोजित की गईं—
 - ✓ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा—2017 (**25 जून 2017**)
 - ✓ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा—2017 (**9 जुलाई 2017**)
 - ✓ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक, रसायन, जीव)—2017 (**9 जुलाई 2017**)
 - ✓ ग्रंथपाल—2017 (**9 जुलाई 2017**)
 - ✓ क्रीड़ा अधिकारी—2017 (**9 जुलाई 2017**)
 - ✓ सहायक संचालक, रेशम—2017 (**23 जुलाई 2017**)
 - ✓ लेक्चरर (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) (ग्रामोद्योग विभाग)—2017 (**13 अक्टूबर 2017**)

- ✓ लाईब्रेरियन (ग्रामोद्योग विभाग)–2017 (**13 अक्टूबर 2017**)
- ✓ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक–2017 (**13 अक्टूबर 2017**)
- ✓ सहायक संचालक, हाथकरघा–2017 (**18 नवम्बर 2017**)
- ✓ विधि अधिकारी परीक्षा–2017 (**22 दिसम्बर 2017**)
- ✓ रजिस्ट्रार परीक्षा–2017 (**22 दिसम्बर 2017**)
- ✓ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक–2017 (**25 जनवरी 2018**)
- ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2017 (**25 फरवरी 2018**)

- **ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक-** आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं में ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक का प्रयोग किया जाता है। ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक के प्रयोग द्वारा परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति मिलान के कार्य में समय, श्रम की बचत के साथ–साथ अनुपस्थिति मिलान की प्रामाणिकता में वृद्धि होती है। ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक का प्रयोग निम्न परीक्षा में किया गया –

- ✓ राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा–2016 (**18, 19, 20, 21 मई 2017**)
- ✓ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा–2017 (**18 फरवरी 2018**)
- ✓ छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा–2017 (**25 मार्च 2018**)

- **मॉडल उत्तर एवं ऑनलाइन आपत्ति-** परीक्षा गोपनीय अनुभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मॉडल उत्तर को आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध करा कर मॉडल उत्तर के संबंध में आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करने हेतु ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश शीर्ष से परिशिष्ट तैयार कर सूचना प्रकाशित की जाती है। ऑनलाइन आपत्ति के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त हुए आपत्तियों को विषय विशेषज्ञों से आपत्ति के निवारण हेतु प्रश्नवार जानकारी तैयार कर परीक्षा गोपनीय को उपलब्ध कराया जाता है। परीक्षाओं के नाम निम्न हैं जिनमें ऑनलाइन आपत्ति का प्रयोग किया गया—

- ✓ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2017 (**25 जून 2017**)
- ✓ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2017 (**9 जुलाई 2017**)
- ✓ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक, रसायन, जीव)–2017 (**9 जुलाई 2017**)
- ✓ ग्रंथपाल–2017 (**9 जुलाई 2017**)
- ✓ क्रीड़ा अधिकारी–2017 (**9 जुलाई 2017**)
- ✓ सहायक संचालक, रेशम–2017 (**23 जुलाई 2017**)
- ✓ लेक्चरर (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) (ग्रामोद्योग विभाग)–2017 (**13 अक्टूबर 2017**)

- ✓ लाईब्रेरियन (ग्रामोद्योग विभाग)–2017 (**13 अक्टूबर 2017**)
- ✓ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक–2017 (**13 अक्टूबर 2017**)
- ✓ सहायक संचालक, हाथकरघा–2017 (**18 नवम्बर 2017**)
- ✓ विधि अधिकारी परीक्षा–2017 (**22 दिसम्बर 2017**)
- ✓ रजिस्ट्रार परीक्षा–2017 (**22 दिसम्बर 2017**)
- ✓ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक–2017 (**25 जनवरी 2018**)
- ✓ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा–2017 (**18 फरवरी 2018**)
- ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2017 (**25 फरवरी 2018**)
- ✓ छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा–2017 (**25 मार्च 2018**)

- **लिखित परीक्षा परिणाम तैयार करना-** इस अवधि में निम्न मुख्य (ऑफलाइन) परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का चिन्हांकन सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा किया गया—
 - (1). राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा–2015
 - (2). व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा–2015

उपरोक्त के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा निम्न ऑनलाइन परीक्षाओं के परिणाम ऑनलाइन परीक्षा हेतु अनुबंधित फर्म द्वारा प्रदान मेरिट सूची के आधार पर तैयार किए गए—

- (1). व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2016
- (2). सहायक प्राध्यपक (26 विषय) परीक्षा –2014 (उच्च शिक्षा विभाग)
- (3). सहायक प्राध्यापक बायोटेक्नोलॉजी–2014 (स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग)
- (4). सहायक प्राध्यापक बायोइनफरमेटिक्स–2014 (स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग)
- (5). जूनियर साईटिफिक आफिसर बायोकेमेस्ट्री–2014 (स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग)
- (6). प्रदर्शक फिजियोथेरेपी–2014 (स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग)
- (7). सहायक प्राध्यापक फिजियोथेरेपी–2014 (स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग)
- (8). सहायक संचालक, उद्योग / प्रबंधक–2016
- (9). सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) परीक्षा –2014 (उच्च शिक्षा विभाग)
- (10). व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2017
- (11). सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2017
- (12). वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन एवं बॉटनी / फार्मार्कोगोनॉसी)–2017

- (13). क्रीडाधिकारी (तकनीकी शिक्षा विभाग)–2017
- (14). ग्रंथपाल (तकनीकी शिक्षा विभाग)–2017
- (15). सहायक संचालक, रेशम–2017
- (16). लेक्चरर (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) (ग्रामोद्योग विभाग)–2017
- (17). लाईब्रेरियन (ग्रामोद्योग विभाग)–2017
- (18). होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी–2017
- (19). सहायक संचालक, हाथकरघा–2017
- (20). विधि अधिकारी परीक्षा–2017
- (21). रजिस्ट्रार परीक्षा–2017
- (22). आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी–2017

- **राज्य सेवा परीक्षा हेतु ऑनलाइन अग्रमान्यता अंकित कराना -** ऑनलाइन अग्रमान्यता में अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा में अपने पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन भरने के बाद प्राप्त कम्प्यूटराईज्ड पावती को साक्षात्कार के समय जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ऑनलाइन अग्रमान्यता का प्रयोग राज्य सेवा परीक्षा–2016 में किया गया।
- **साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न 4 दस्तावेज आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना-** अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन–पत्र (03 प्रति में) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होता है। उक्त प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को भेजे जाने वाले साक्षात्कार बुलावा पत्रक एवं अन्य प्रपत्र से डाक व्यय एवं समय की क्षति होती, जिसे इन प्रपत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर बचाया जा सका।
- **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदन हार्ड कॉफी में न होने के कारण साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए डाटा के आधार पर मास्टर डाटा पेज तैयार कर चयन अनुभाग को उपलब्ध कराए गए।** जिनका प्रयोग साक्षात्कार के दौरान मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु किया गया। इसके आलावा उपरोक्त परीक्षाओं में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की लॉटरी के आधार पर उपस्थिति पत्रक एवं साक्षात्कार–अंक सूची का फारमेट सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा तैयार किए सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

- **साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम तैयार करना-**उपरोक्त अवधि में निम्न परीक्षाओं हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम तैयार किए गए—
 - (1). सहायक संचालक (योजना) –2016
 - (2). सहायक संचालक (सर्वे)–2016
 - (3). सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परीक्षा—2016
 - (4). परिवहन उपनिरीक्षक परीक्षा—2016
 - (5). रीडर (संहिता सिद्धांत, क्रिया शारीर) एवं वैज्ञानिक अधिकारी—2017
 - (6). सहायक प्राध्यापक (27 विषय) परीक्षा—2014
 - (7). सहायक प्राध्यापक, दंत चिकित्सा (चिकित्सा महाविद्यालय), सीनियर रेसीडेन्ट, दंतरोग (चिकित्सा महाविद्यालय), रेसीडेन्ट विभिन्न विषय (दंत चिकित्सा महाविद्यालय), डेन्टल सर्जन विभिन्न विषय (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)—2014
 - (8). सहायक संचालक उद्योग / प्रबंधक—2016
 - (9). सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) परीक्षा—2014 (संशोधित)
 - (10). व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा—2016
 - (11). सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा—2017
 - (12). लेक्चरर(विविंग),लेक्चरर(टेक्साटाईलडिजाईन),लेक्चरर (डाइंग / प्रोसेसिंग / प्रिंटिंग / टेस्टिंग) ग्रामोद्योग विभाग—2017
 - (13). वैज्ञानिक अधिकारी (बॉटनी / फार्मेकोगोनॉसी)–2014
 - (14). सहायक प्राध्यापक, फिजियोथेरेपी—2014
 - (15). प्रदर्शक, फिजियोथेरेपी—2014
 - (16). सहायक प्राध्यापक बायोटेक्नोलॉजी—2014
 - (17). सहायक प्राध्यापक बायोइनफरमेटिक्स—2014
 - (18). राज्य सेवा परीक्षा—2016
 - (19). क्रीडाधिकारी (तकनीकी शिक्षा विभाग)–2017
 - (20). ग्रंथपाल (तकनीकी शिक्षा विभाग)–2017
 - (21). सहायक संचालक, रेशम परीक्षा—2017
 - (22). यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा—2017

- (23). सहायक संचालक, हाथकरघा—2017
- (24). लेक्चरर (मेके. इंजीनियरिंग)—2017 (ग्रामोद्योग विभाग)
- (25). लाइब्रेरियन—2017 (ग्रामोद्योग विभाग)
- (26). होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी—2017

ऑनलाइन विभागीय पदोन्नति हेतु प्रस्ताव, सॉफ्टवेयर का विकास एवं प्रशिक्षण- विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव व सॉफ्टवेयर तैयार कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग तथा मंत्रालय एवं संचालनालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रभारी अधिकारी, (सू.प्रौ.) द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

परिशिष्ट - पांच

विभागीय भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिये जाने का विवरण दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

सं. क्र.	विभाग का नाम	विषय	अभिमत/सहमति देने का दिनांक
1	3	4	6
01	स्कूल शिक्षा विभाग	छ.ग. स्कूल शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2009 में संशोधन बाबत्।	क./274/14/2017/जीएस दिनांक 29.04.2017
02	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	छ.ग. फर्म्स एवं संस्थाएं (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2007 में संशोधन।	क./696/167/2016/जीएस दिनांक 21.06.2017
03	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	छ.ग. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2006 यथा संशोधित में संशोधन बाबत्।	क./769/23/2017/जीएस दिनांक 29.06.2017
04	श्रम विभाग	छ.ग. श्रम सेवा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में संशोधन बाबत्।	क./1049/134/2012/जीएस दिनांक 31.07.2017
05	गृह (पुलिस) विभाग	छ.ग. पुलिस कार्यपालिक राजपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 में संशोधन बाबत्।	क./2152/127/2017/जीएस दिनांक 12.12.2017
06	गृह विभाग	छ.ग. अग्निशामन एवं अपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा मोर्चन बल (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम के संबंध में।	क./2839/55/2017/जीएस दिनांक 26.02.2018
07	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	छ.ग. ग्रामीण यात्रिकी राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2014 में संशोधन बाबत्।	क./3094/17/2012/जीएस दिनांक 31.03.2018
08	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	छ.ग. खाद्य नागरिक आपूर्ति (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में संशोधन बाबत्।	क./114/160/2013/जीएस दिनांक 13.04.2017
09	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	छ.ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में संशोधन बाबत्।	क./403/19/2017/जीएस दिनांक 18.05.2017
10	वित्त विभाग	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनरीक्षण बाबत्। (छ.ग. स्थानीय निधि संपरीक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1991 के अनुसूची एक, दो एवं चार में संशोधन)	क./2179/83/2017/जीएस दिनांक 15.12.2017
11	वित्त विभाग	छ.ग. राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम 2013 में संशोधन बाबत्।	क./ 2838/181/2013/जीएस दिनांक 24.02.2018
12	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	छ.ग नगरपालिका (काग्रपालन/यात्रिकी/स्वारक्ष्य) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्त नियम 2017 में प्रस्तावित संशोधन पर सहमति बाबत्	क./2636/73/2017/जीएस दिनांक 01.02.2018

परिशिष्ट - छ:
विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठकों का विवरण
(दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक)

स.क्र.	विचारक्षेत्र में लिये गये अधिकारियों की संख्या	अनुशंसित अधिकारियों की संख्या	चयनित अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
1	सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	6	5
2	उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति।	4	1
खनिज साधन विभाग			
1	सहायक भौमिकी विद् से उप संचालक भौमिकी के पद पर पदोन्नति।	4	2
2	खनि अधिकारी से उप संचालक खनिज प्रशासन के पद पर पदोन्नति।	2	1
3	सहायक खनि अधिकारी से खनि अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	6	3
4	उप संचालक भौमिकी से संयुक्त संचालक भौमिकी के पद पर पदोन्नति।	5	1
5	वरिष्ठ तकनीकी सहायक से सहायक भू-भौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति बाबत्।	1	1
6	रसायनज्ञ से मुख्य विश्लेषक के पद पर पदोन्नति।	11	1
7	सहायक रसायनज्ञ से रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति।	5	3
8	सहायक खनि अधिकारी से खनि अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	2	1
9	उप संचालक (भौमिकी) से संयुक्त संचालक (भौमिकी) के पद पर पदोन्नति।	5	1
10	खनि निरीक्षक से सहायक खनि अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	24	18

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग			
1	सहायक खाद्य अधिकारी से सहायक संचालक / खाद्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	29	6
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग			
1	सहायक संचालक उद्यान से उप संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति।	6	4
2	संयुक्त संचालक से अपर संचालक के पद पर पदोन्नति।	12	5
3	उप संचालक कृषि से संयुक्त संचालक कृषि के पद पर पदोन्नति।	24	10
4	सहायक संचालक से उप संचालक मछलीपालन के पद पर पदोन्नति।	3	2
5	B.V.Sc. & A. H. स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित संवर्ग पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदोन्नति।	4	4
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग			
1	प्राचार्य वर्ग-2 से प्राचार्य वर्ग-1 के पद पर पदोन्नति।	1	1
2	प्राचार्य वर्ग-1/उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति।	2	1
3	उप प्राचार्य एवं प्रशिक्षण अधीक्षक के पद से प्राचार्य वर्ग-2 के पद पर पदोन्नति।	60	35
महिला एवं बाल विकास विभाग			
1	पर्यवेक्षक संवर्ग से बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	49	19
2	उप संचालक संवर्ग से संयुक्त संचालक संवर्ग के पद पर पदोन्नति।	8	1
3	एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी से सहायक संचालक संवर्ग के पद पर पदोन्नति।	21	8
वित्त विभाग			
1	स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक से उप संचालक पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 30.12.2014 को सम्पन्न बैठक की रिव्यू डीपीसी के संबंध में।	8	4
2	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति।	38	14

चिकित्सा शिक्षा विभाग			
1	सह प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति डॉ. विनिता गुप्ता, सह प्राध्यापक पेरियोडोंटिक्स विभाग शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर।	1	1
2	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कार्यरत सहायक प्राध्यापक को सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति।	2	1
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग			
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से उपायुक्त (विकास) के पद पर पदोन्नति।	23	16
2	उपायुक्त (विकास) से संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति।	32	14
3	जिला अंकेक्षण संवर्ग तृतीय श्रेणी से सहायक संचालक संवर्ग राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति।	13	11
4	कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति।	8	6
5	सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति।	66	48
श्रम विभाग			
1	उप श्रमायुक्त के पद पर वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति पुनरीक्षित करने बाबत।	3	2
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन			
1	नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति।	1	1
2	नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी।	3	3
स्कूल शिक्षा विभाग			
1	जिला ग्रंथपाल से अतिरिक्त सहायक मुख्य ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति।	1	1
2	अपर संचालक से संचालक के पद पर पदोन्नति।	1	1
समाज कल्याण विभाग			
1	उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति।	4	3
2	अधीक्षक, सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	8	7

सामान्य प्रशासन विभाग			
1	तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख से राज्य प्रशासनिक सेवा कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति बाबत्।	33	9
2	उपायुक्त से संयुक्त आवासीय आयुक्त के पद पर पदोन्नति।	1	1
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
1	उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी से जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	2	2
2	व्याख्याता रोग निदान एवं विकृति विज्ञान से रीडर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पद पर पदोन्नति।	3	1
3	चिकित्सा अधिकारी के पद से स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति।	1	1
उच्च शिक्षा विभाग			
1	स्नातक प्राचार्य से स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति।	107	41
राज्य निर्वाचन आयोग			
1	सहायक ग्रेड-01 से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	1	1
वाणिज्यिक कर विभाग			
1	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	27	18
2	वाणिज्यिक कर अधिकारी से सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर के पद पर पदोन्नति।	2	1
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग			
1	सहायक प्रबंधक से सहायक संचालक/प्रबंधक के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी।	36	24
वन विभाग			
1	वनक्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति।	83	28
2	अधीक्षक से लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति।	3	1
3	उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति।	69	39

जनसंपर्क विभाग			
1	संयुक्त संचालक से अपर संचालक के पद पर पदोन्नति।	7	2
2	उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति।	10	5
3	सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	15	4
4	सहायक जनसंपर्क अधिकारी से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति।	5	4
जल संसाधन विभाग			
1	स्नातक उप अभियंता (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति।	1	1
2	डिप्लोमाधारी उप अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति।	182	88
3	कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति।	41	11
4	निःशक्तजन संवर्ग के अंतर्गत सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति।	3	3
5	स्नातक उप अभियंता (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति।	4	1
6	डिप्लोमाधारी उप अभियंता (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति।	97	8
7	सहायक अभियंता (वि./यां.) से कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति।	13	6
8	डिप्लोमाधारी उप अभियंता/मानचित्रकार (नागरिक) से सहायक अभियंता (नागरिक) के पद पर पदोन्नति।	143	79
9	मानचित्रकार (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति।	4	2
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग			
1	मुख्य नगर पालिका अधिकारी "क" श्रेणी के पद पर पदोन्नति।	13	10
2	कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति।	2	2
3	मुख्य नगर पालिका "ग" श्रेणी के पद पर पदोन्नति।	1	1

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग			
1	सहायक आयुक्त एवं समकक्ष से उपायुक्त एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति।	28	7
आवास एवं पर्यावरण विभाग			
1	वरिष्ठ शोध सहायक से सहायक संचालक (शोध) के पद पर पदोन्नति।	4	2
2	सहायक संचालक (योजना) से उप संचालक (योजना) के पद पर पदोन्नति।	1	1
3	अधीक्षक से सहायक संचालक (स्थापना) के पद पर पदोन्नति।	1	1
4	संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश स्थापना के वरिष्ठ मानचित्रकार से सहायक संचालक (योजना) के पद पर पदोन्नति।	1	1
गृह विभाग			
1	जिला सेनानी नगर सेना संवर्ग से संभागीय सेनानी/सीनियर स्टॉफ ऑफिसर के पद पर पदोन्नति।	1	1
2	निरीक्षक (विशेष शाखा)/निरीक्षक (आम्स) संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति।	22	8
3	रक्षित निरीक्षक/निरीक्षक/कंपनी कमाण्डर/निरीक्षक एम. टी. संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति।	90	49
4	जिला अभियोजना अधिकारी से उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	12	11
5	सहायक जिला अभियोजना अधिकारी से जिला अभियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	42	25
6	संयुक्त संचालक अभियोजन से अतिरिक्त संचालक के पद पर पदोन्नति बाबत।	2	1
7	निरीक्षक अंगुली चिन्ह संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के पद पर पदोन्नति।	55	52
8	कम्पनी कमाण्डर के पद से जिला सेनानी के पद पर पदोन्नति।	4	2

ग्रामोद्योग विभाग			
1	संयुक्त संचालक रेशम से अपर संचालक रेशम के पद पर पदोन्नति।	2	1
2	सहायक संचालक रेशम से उप संचालक रेशम के पद पर पदोन्नति।	9	1
3	फील्ड ऑफिसर से सहायक संचालक रेशम के पद पर पदोन्नति।	7	2
4	उप संचालक रेशम से संयुक्त संचालक रेशम के पद पर पदोन्नति।	5	1
लोक निर्माण विभाग			
1	सहायक अभियंता (वि. / यां.) से कार्यपालन अभियंता (वि. / यां.) के पद पर पदोन्नति।	8	2
2	कार्यपालन अभियंता (वि. / यां.) से अधीक्षण अभियंता (वि. / यां.) के पद पर पदोन्नति।	5	1
योग		1714	830

परिशिष्ट - सात

विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील प्रकरणों का विवरण
(दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक)

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	आयोग में प्राप्ति दिनांक	विभाग का नाम	विषय	प्रस्तावित दण्ड जिसमें आयोग की सहमति/असहमति/परामर्श दिया गया है।	आयोग का अभिमत दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
01	163/2016/GS	16/03/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री रघुनंदन सिंह पैकरा, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (निलंबित), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग अंबिकापुर, जिला सरगुजा के विरुद्ध 01 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री रघुनंदन सिंह पैकरा, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (निलंबित), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग अंबिकापुर, जिला सरगुजा, वर्तमान में मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल सरगुजा, जिला सरगुजा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10(4) के तहत 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	06/04/2017
02	169/2016/GS	23/03/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	जिले में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना के अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पालन में अनियमितता के संबंध में। (श्रीमती चन्द्रकला ठवरे, परियोजना अधिकारी चिल्फी, जिला – कबीरधाम।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत महतारी जतन योजना तथा मुख्यमंत्री अमृत दूध योजनाओं के कियान्वयन के समय श्रीमती चन्द्रकला ठवरे द्वारा बिना अवकाश स्वीकृति एवं अनुमति कर्तव्य से गायब होने के फलस्वरूप उनकी “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव” से रोके जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	06/04/2017
03	171/2016/GS	25/03/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री वी.पी.चन्द्राकर, तत्का. प्रभारी सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग पिथौरा, जिला महासमुंद के विरुद्ध 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने के लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत।	प्रकरण पर समग्र परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री वी. पी. चन्द्राकर वर्तमान में प्रभारी कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग महासमुंद के विरुद्ध तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पिथौरा महासमुंद के पद पर पदस्थी के दौरान अपने कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10(4) के तहत “01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति” अधिरोपित किये जाने के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/04/2017

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

04	164/2016/GS	16/03/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री एल.पी.शर्मा, तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सूरजपुर विरुद्ध राशि रु. 3,51,405.00 वसूली की शास्ति पर लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत्।	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एल.पी.शर्मा, तत्का. प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सूरजपुर द्वारा 15.10.2008 से 01.06.2009 तक पदस्थी के दौरान अपने कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 10(3) के अंतर्गत कुल योग राशि रु. 3,51,405.00 वसूली की शास्ति अधिरोपित किये जाने के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/04/2017
05	04/2017/GS	03/04/2017	सहकारिता विभाग	श्री संजय नाम पल्लीवार, सहकारी नियोक्तक को सेवा से पदच्युत करने बाबत्।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री संजय नाम पल्लीवार, सहकारी नियोक्तक को अपराधिक प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित दण्ड छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (9) के तहत सेवा से पदच्युत करने के विभागीय निर्णय पर सहमति दी गई।	29/04/2017
06	18/2017/GS	28/04/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्रीमती अहिल्या ध्रुव, परियोजना अधिकारी केशकाल का शिकायत के आधार पर अन्यत्र स्थानांतरण करने बाबत्।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्रीमती अहिल्या ध्रुव, परियोजना अधिकारी केशकाल द्वारा मुख्यालय में नियास नहीं करने, विभागीय कार्यों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं करने, आदेशों का पालन नहीं करने तथा सुकन्या समृद्धि योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना की प्रगति अत्यंत धीमी होने के फलस्वरूप इनकी “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव” से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/05/2017
07	10/2017/GS	13/04/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री सी.एल.डाहिरे, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर सहमति बाबत्।	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री सी.एल.डाहिरे, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम, वर्तमान में सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभियान, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बालोद, जिला-बालोद के विरुद्ध उनके पदस्थी के दौरान ग्राम पंचायत बंदौरा, जनपद पंचायत कवर्धा में बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में निर्मित क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10 (4) के अंतर्गत “02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति” अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/05/2017

08	15/2017/GS	18/04/2017	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही – श्री जे.पी कुजूर. (रा.प्र. से) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बस्तर	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री जे.पी.कुजूर (रा.प्र.से.) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बस्तर द्वारा पदस्थापन अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि का अंतरण गैर जनजाति को दिये जाने की अनुमति हेतु अनुशंसा करने पर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-165(6) के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 के तहत उनकी पेंशन से 05 प्रतिशत की राशि 02 वर्ष के लिये रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/05/2017
09	16/2017/GS	24/04/2017	जल संसाधन विभाग	विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 565, आश्वासन क्रमांक 164 के संबंध में श्री एच.एन.गोयल, कार्यपालन अभियंता की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रावधिक निर्णय पर सहमति बाबत।	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एच.एन.गोयल, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग रायगढ़ द्वारा विधानसभा लोक लेखा समिति में दिये गये उत्तर/कार्यवाही में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10(4) के अनुसार 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	12/05/2017
10	93/2016/GS	27/04/2017	लोक निर्माण विभाग	हाईकोर्ट के निर्माणधीन नवीन आवासीय एवं गैर आवासीय परिसर बिलासपुर में मिट्टी भराई के भुगतान के प्रकरण में अधिरोपित दंड की सहमति के संबंध में।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत पुनर्विचार करते हुए अपचारी अधिकारियों श्री ए.के. तिवारी, तत्का. मुख्य अभियंता, लोनिवि, परि. बिलासपुर एवं श्री डी.के.जैन, से.नि. तत्का. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग के पेंशन का 10 प्रतिशत भाग 02 वर्ष तक रोकने के दण्ड से दण्डित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय के स्थान पर उनकी 'पेंशन का 25 प्रतिशत भाग 05 वर्ष तक रोका जावें।	03/06/2017
11	96/2015/GS	29/04/2017	जल संसाधन विभाग	विभागीय जांच- श्री आर.के. वैष्णव, तत्का. सहायक अभियंता।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री आर.के.वैष्णव, तत्का. सहायक अभियंता से शासन को हुई हानि "क्षति की राशि रूपये 1,18,987/- (एक लाख अठारह हजार नौ सौ सत्यासी रूपये) में से 10 प्रतिशत राशि 05 वर्ष के लिए उनके पेंशन से रोके जाने के स्थान पर वसूली उनके ग्रेज्युटी से एकमुश्त किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	03/06/2017

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

12	17/2017/GS	27/04/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही— श्री नेहरूल माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरग जिला—रायपुर	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री नेहरूल माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरग जिला—रायपुर के द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जाने का कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम— 1965 के नियम—03 के विपरीत होने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ .ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम—10(4) के तहत् 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/06/2017
13	36/2017/GS	03/06/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	सुश्री कल्पना मंडामे, परियोजना अधिकारी के अनाधिकृत अनुपस्थिति प्रकरण के संबंध में।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत सुश्री कल्पना मंडामे द्वारा शासकीय कार्यों के सम्पादन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतना, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अव्वेलना एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनकी “दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव” से रोके जाने के विभागीय निर्णय पर आयोग द्वारा सहमति दी जाती है।	20/06/2017
14	122/2016/GS	18/05/2017	लोक निर्माण विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री एन.आर.यादव, अंगीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एन.आर.यादव, सेवानिवृत्त, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु मंडल रायगढ़ द्वारा छ .ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम—1965 के नियम—3 के विपरीत कदाचरण किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध “पेंशन का 5 प्रतिशत भाग एक वर्श की अवधि के लिए रोके जाने” के दंड से दण्डित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	15/06/2017
15	25/2017/GS	16/05/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	महात्मा गांधी नरेगा विकासखंड मालखरौदा के विभिन्न ग्राम पंचायतों में की गई अनियमितता के संबंध में।	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री दामोदर सिंह सिदार, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (निलंबित) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग मालखरौदा, जिला—जांजगीर—चांपा छ.ग. के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम—10(4) के तहत् “02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित करने के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	14/06/2017
16	26/2017/GS	17/05/2017	उच्च शिक्षा विभाग	श्री दिनेश कुमार मस्ता, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र शासकीय किरोडीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ की विभाग द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर सहमति।	उक्त प्रकरण के समक्ष परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री दिनेश कुमार मस्ता सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र शासकीय किरोडीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ द्वारा अपने कर्तव्य में किये गये लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	15/06/2017

17	30/2017/GS	23/05/2017	गृह (जेल) विभाग	श्री राजेन्द्र कुमार गायकवाड, अधीक्षक केन्द्रीय जेल जगदलपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत।	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री राजेन्द्र गायकवाड के विरुद्ध प्रमाणित आरोप गंभीर प्रकृति के होने तथा अपचारी अधिकारी के शिथिल नियंत्रण एवं लापरवाही से जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम 3 एवं जेल नियमावली के नियम 570 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	15/06/2017
18	34/2017/GS	30/05/201	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही सुश्री नेहा कपूर रा.प्र.से. डिप्टी कलेक्टर कोणडागांव।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी सुश्री नेहा कपूर (रा.प्र.से.), तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, कांकेर को अपने कार्यों में बरती गई अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम –10(4) के तहत इनके विरुद्ध “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने” की लघुशास्त्र से दण्डित किये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	15/06/2017
19	35/2017/GS	31/05/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री एस . एन. पाठक, तत्का. कार्यपालन अभियंता परि.फि.इ. (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) छ.ग. ग्रा.वि. अ. जिला कोरबा।	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस.एन.पाठक, तत्का. कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियावयन इकाई क. -01 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोरबा, जिला कोरबा के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम–10(4) के तहत “02 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्त्र अधिरोपित किये जाने के अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	15/06/2017
20	40/2017/GS	13/06/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्रीमती मीना तिर्की, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही बाबत।	आयोग द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्रीमती मीना तिर्की, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में कार्य असंतोषजनक पाये जाने तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके विरुद्ध गंभीर प्रकृति के शिकायत समक्ष में किये जाने के कारण उनके विरुद्ध “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव” से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	04/07/2017

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

21	42/2017/GS	21/06/2017	सामान्य प्रशासन विभाग	विभागीय जांच श्री ए.एल. ध्रुव रा.प्र.से. तत्का. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री ए .एल.ध्रुव, (रा .प्र.से.पी.—2006), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर द्वारा अपने कार्यों में की गई लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम—10(4) के तहत “एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने” की लघु शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु लिये गये अनन्तिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/07/2017
22	06/2017/GS	05/04/2017	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री भरत नेताम, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्गकांडल, जिला कांकेर।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री भरत नेताम द्वारा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्गकांडल, जिला कांकेर के पद पर पदस्थी के दौरान अपने कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध आरोपों में उल्लेखित राशि (आरोप क्रमांक 03 में रुपये 30,000/- (तीस हजार रुपये) तथा आरोप क्रमांक 05 में रुपये 34,000/- (चौतिस हजार रुपये), इस तरह कुल 64,000/- (चौसठ हजार रुपये)) की वसूली एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(5) के तहत एक वर्ष की कालावधि के लिए अवनत कर वेतन के समयमान के निम्नतर प्रक्रम पर किया जाए तथा उक्त अवधि में कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी, के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	07/07/2017
23	46/2017/GS	29/06/2017	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही – डॉ.संतोष कुमार देवांगन (रा.प्र.से.) तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी डॉ. संतोष कुमार देवांगन (रा.प्र.से.), संयुक्त कलेक्टर, जिला नारायणपुर को माननीय विशेश न्यायालय द्वारा (प्रश्टाचार निवारण अधिनियम,) विलासपुर ने प्रकरण (क्रिमीनल) क्रमांक -440 / 2014 में दिनांक 06.06.2017 को उनके विरुद्ध दण्ड अधिरोपित किया गया है। अतः छ .ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम –10(नौ) के तहत ‘सेवा से पदच्युत (dismissal) किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	13/07/2017
24	48/2017/GS	03/07/2017	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही – श्री गुड्डू लाल जगत, (रा.प्र.से.), डिप्टी कलेक्टर बस्तर।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री गुड्डू लाल जगत (रा .प्र.से.), डिप्टी कलेक्टर, बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम— 1965 के नियम 3 एवं 21 के विपरीत कदाचरण किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम –10(1) के तहत “परिनिंदा की लघु शास्ति” से दण्डित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/07/2017

25	21/2017/GS	21/07/2017	सहकारिता विभाग	स्वयं कार्यमुक्त होकर, कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही—श्री दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री दिलीप जायसवाल तत्कालीन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कंक्रेट द्वारा किये गये स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10(4) के तहत “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से” रोकने की लघुशास्ति के दंड से दंडित करने के संबंध में लिए गए विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/07/2017
26	49/2017/GS	06/07/2017	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच — श्री कौशिक कुमार, सहायक प्राध्यापक, हिन्दू शासकीय दत्तेश्वरी, पी.जी.महाविद्यालय, दत्तेवाड़ा के अनाधिकृत अनुपरिस्थिति के संबंध में।	प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी श्री कौशिक कुमार, सहायक प्राध्यापक, हिन्दू शासकीय दत्तेश्वरी, पी.जी.महाविद्यालय, दत्तेवाड़ा के द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपरिस्थित होने तथा छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 7 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	29/07/2017
27	39/2017/GS	02/08/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	वित्तीय अनियमितता के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही— श्री मनोज कुमार सिन्हा, तत्कालीन परियोजना अधिकारी गरियाबद (विभागीय जांच)	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री मनोज कुमार सिन्हा, तत्का. परियोजना अधिकारी गरियाबद द्वारा पोषण आहार मद की स्व-सहायता समूहों को दये राशि, यात्रा भत्ता मद की राशि, अंगनबाड़ी कार्यक्रमों सहायिकर्ताओं के मानदेय एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण उनकी “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से” रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	17/08/2017
28	65/2017/GS	03/08/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्री महेश मरकाम, परियोजना अधिकारी बाल विकास सेवा परियोजना भैयाथान, जिला सूरजपुर द्वारा गंभीर लापरवाही, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अहेलना एवं आम जनता व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होने के कारण उनकी “दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी” प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत महेश मरकाम, परियोजना अधिकारी बाल विकास सेवा परियोजना भैयाथान, जिला सूरजपुर द्वारा गंभीर लापरवाही, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अहेलना एवं आम जनता व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होने के कारण उनकी “दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी” प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	
29	56/2017/GS	20/07/2017	कृषि एवं जीव प्रौद्योगिकी विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध— श्री एम. ए.खान, तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सीहोर के प्रकरण में अंतिम निर्णय बाबत् ।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोंपरांत अपचारी अधिकारी श्री एम. ए.खान तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, बुद्धी जिला सीहोर म.प्र. वर्तमान सहायक संचालक कृषि जिला नारायणपुर छ.ग. द्वारा शासकीय कार्य में किये गये वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तावित दण्ड आरोप कमांक-1 के लिये 61445/- की वसूली, आरोप कमांक-2 के लिये 9348/- की वसूली, आरोप कमांक-3 के लिये 30160/- की वसूली, आरोप कमांक-5 के लिये 597763/- की वसूली तथा आरोप कमांक-04, 06 एवं 14 के लिये उनकी आगामी 03 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	22-08-2017
30	28/2017/GS	21/08/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्रीमती अंजेला कुजूर, परियोजना अधिकारी, मनोरा, जिला जशपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत पाया गया, कि श्रीमती अंजेला कुजूर के ऊपर अधिरोपित आरोप गंभीर प्रकृति का है। शासन के निर्देशों का उल्लंघन एवं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही जानबूझकर किया गया है। अतः श्रीमती कुजूर की “दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी” प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर “दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी” प्रभाव से रोके जाने पर आयोग की सहमति प्रदान की जाती है।	22/08/2017

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

31	59/2017/GS	22/07/2017	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही— श्री एम.एस.ओटटी (से.नि.रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सह भू-अर्जन अधिकारी, डॉण्डीलोहारा, जिला-बालोद के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 में निहित प्रावधानों के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 के तहत उनकी पेंशन का 10 प्रतिशत राशि छ. माह तक के लिये (कटौती) रोकने के दण्ड से दण्डित करने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/08/2017	
32	37/2017/GS	05/06/2017	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच – डॉ. श्रीमती सीमा मनीशा नाथ, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी, शासकीय महाविद्यालय, तखतपुर के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड पर सहमति बाबत।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी डॉ. श्रीमती सीमा मनीशा नाथ, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी, शासकीय महाविद्यालय, तखतपुर द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 7 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/08/2017
33	47/2017/GS	29/06/2017	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच – डॉ. टी.आर.डेहरे, प्राचार्य (नि.) शास. दंतेश्वरी पी.जी. महा./शास. महेन्द्रकर्मा कन्या महाविद्यालय, दंतेवाड़ा।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी डॉ. टी.आर.डेहरे, प्राचार्य (निलंबित) शास. दंतेश्वरी पी.जी.महाविद्यालय / शासकीय महेन्द्रकर्मा कन्या महाविद्यालय, दंतेवाड़ा द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10(5) के तहत “एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने” तथा निलंबन अवधि के लिये जीवन निर्वाह भत्ते के अलावा और कोई राशि देय नहीं होने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/08/2017
34	166/2016/GS	20/03/2017	जल संसाधन विभाग	निर्माणाधीन आटरा एनीकट कम-काजवे एवं बहुरनभेड़ी एनीकट कम-काजवे के निर्माण कार्य में अनियमितता बाबत।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री आर.पी.साव, कार्यपालन अभियंता एवं श्री सी.एम. मौर्यी, सहायक अभियंता के द्वारा अपने कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10(4) के तहत दो-दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	16/08/2017
35	69/2017/GS	16/08/2017	वाणिज्यिक कर विभाग	श्री पी.आर.देवांगन अपीलीय उपायुक्त तत्कालीन सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विलासपुर द्वारा कार्य में की गई लापरवाही एवं अनियमितता के लिए उन पर लघुशास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री पी.आर.देवांगन अपीलीय उपायुक्त तत्कालीन साहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विलासपुर द्वारा कर निधारण आदेश में किये गये अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” के विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/08/2017

36	11/2016/GS	26/10/2016	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री एल.एस.सक्सेना, सहायक अधिकारी (पदच्युत) को सेवा में बहाल करने के सम्बन्ध में सहमति/असहमति बाबत्।	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एल.एस.सक्सेना, सहायक अधिकारी (पदच्युत) के अपीलीय प्रकरण में माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर द्वारा आपराधिक अपील प्रकरण कमांक 55 / 2014 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2016 द्वारा दापिडक प्रकरण कमांक 344 / 2014 की धारा 420,409,120(बी) भा .द.वि. के अपराध में श्री एल.एस.सक्सेना को दोषमुक्त पाये जाने के फलस्वरूप सेवा में बहाल किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	31/08/2017
37	57/2017/GS	20/07/2017	गृह (जेल) विभाग	विभागीय जांच —श्री एस .के.साहू सहायक जेल अधीक्षक, जिला जेल महासंग्रह।	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस .के.साहू सहायक जेल अधीक्षक, जिला—जेल महासंग्रह पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत “एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवनति किये जाने (रोके जाने) हेतु लिये गये विभागीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	05/09/2017
38	74/2017/GS	01/09/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्री हसन सिद्दीकी परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना छुरिया 01 की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने बाबत्।	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री हसन सिद्दीकी परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना छुरिया—1 की कर्तव्य के प्रति किये गये लापरवाही के फलस्वरूप उनके विरुद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दंडित करने के संबंध में लिये गये विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	14/09/2017
39	81/2017/GS	12/09/2017	ग्रामोद्योग विभाग	कोषालय से आहरित नैमित्तिक ¹ देयकों की राशि रूपये 7,77,892/- को गबन करने के संबंध में विभागीय जांच करने बाबत विरुद्ध श्री एस.एस.कुशवाहा सहायक संचालक रेशम	उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस .एस.कुशवाहा सहायक संचालक रेशम द्वारा का यालीय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी के कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं करने तथा शासकीय कार्यों में किये गये लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध प्रस्तावित दंड “दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के” दंड से दंडित करने के संबंध में लिये गये विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई।	27/09/2017
40	85/2017/GS	19/09/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अंबिकापुर द्वारा वर्ष 2011–12 में जिला स्तरीय सामूहिक विवाह में की गई अनियमितता के संबंध में।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री दिलदार सिंह मरावी, संयुक्त संचालक द्वारा जिला स्तरीय सामूहिक विवाह आयोजन में कई वर एवं कन्या जिन्होंने सामूहिक विवाह के लिये निर्धारित उम्र पूरी नहीं की है, का पंजीयन कराये जाने तथा सामूहिक विवाह में वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	12/10/2017
41	99/2013/GS	23/08/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	विभागीय जांच श्रीमती अल्लीना कुजूर, तत्कालीन परियोजना अधिकारी मनोरा जिला जशपुर।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा पूर्व निर्णय पर संशोधन का कोई पर्याप्त आधार नहीं बताया गया है। अतः परिनिर्दा की शास्त्रिय अधिरोपित करते हुये बहा ली उपरांत जीवन निवाह भत्ते के अतिरिक्त और कोई लाभ प्रदान न करते हुये विभागीय जांच समाप्त किये जाने के विभागीय प्रस्ताव पर आयोग असहमत है।	12/10/2017
42	28/2017/GS	19/09/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्रीमती अंजेला कुजूर, परियोजना अधिकारी, मनोरा, जिला जशपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत पाया गया, कि श्रीमती अंजेला कुजूर के ऊपर अधिरोपित आरोप गंभीर प्रकृति का है। शासन के निर्देशों का उल्लंघन एवं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही जानबूझकर किया गया है। अतः श्रीमती कुजूर की “दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी” प्रभाव से रोके जाने पर आयोग की सहमति प्रदान की जाती है।	12/10/2017

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

43	71/2017/GS	22/08/2017	वन विभाग	अनुशासनिक कार्यवाही श्री कमलेश मण्डावी वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी बैनूर।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री कमलेश मण्डावी वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बैनूर के पद पर पदस्थिति अवधि में वर्ष 2009-10 में वृक्षारोपण कार्यों में की गयी वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 निहित प्रावधान अंतर्गत शासन को हुई हानि राशि रूपये 1,08,555/- में से 25 प्रतिशत राशि अर्थात् 27,139/- रूपये की वसूली उनको प्राप्त वेतन/देय स्वत्वों से एकमुश्त करने के विभागीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	13/10/2017
44	80/2017/GS	08/09/2017	वाणिज्यिक कर विभाग	विभागीय जांच श्री पी. आर. देवांगन, अपीलीय उपायुक्त (तत्कालीन सहायक आयुक्त) द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करने में चूक किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (1) के अधीन “परिनिन्दा” की लघु शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	-प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री पी. आर. देवांगन, अपीलीय उपायुक्त (तत्कालीन सहायक आयुक्त) द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करने में चूक किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (1) के अधीन “परिनिन्दा” की लघु शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	26/10/2017
45	98/2017/GS	04/10/2017	उच्च शिक्षा विभाग	डॉ. आर.के.शुक्ला, प्राचार्य, शासकीय दंतेश्वरी महाविद्यालय, दंतेश्वरा की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड पर सहमति बाबत।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी डॉ. आर.के.शुक्ला, प्राचार्य, शासकीय दंतेश्वरी महाविद्यालय, दंतेश्वरा द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही किये जाने तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 एवं 7 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10(4) के तहत “एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर” निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजन हेतु कार्य अवधि मानते हुये विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	10/11/2017
46	104/2017/GS	18/10/2017	गृह (पुलिस) विभाग	श्री विजय कुजूर (रापुसे) सहायक सेनानी 7 वीं वाहिनी छसबल भिलाई के विरुद्ध विभागीय जांच में लोक सेवा आयोग का परामर्श के संबंध में।	उक्त प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री विजय कुजूर, तत्का. रक्षित निरीक्षक बलरामपुर हाल सहायक सेनानी 7वीं वाहिनी, छसबल भिलाई द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 लघुशास्ति के अंतर्गत “एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” का दण्ड दिये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/11/2017
47	112/2017/GS	28/10/2017	जल संसाधन विभाग	कारण बताओं सूचना पत्र —श्री डी.आर.दर्दो, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री डी.आर.दर्दो, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जशपुर के द्वारा वित्तीय अनियमितता किया जाकर अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 (एक) (दो) एवं (तीन) का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के तहत “दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” का दण्ड दिये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/11/2017

48	05/2017/GS	26/10/2017	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री आर . एस.कंवर, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्गकोदल, जिला कांकेर के पद पर पदस्थी के दौरान अपने कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप शासन को हुई क्षति राशि रूपये 3,07,000 /- (तीन लाख सात हजार रुपये) की वसूली, छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9(5) के तहत श्री आर .एस. कंवर (सेवानिवृत्त) के देय स्वत्वों से किये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	17/11/2017	
49	63/2017/GS	29/07/2017	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	विभागीय जांच में सिद्ध आरोपों पर दण्ड के संबंध में – डॉ. आर. बी. सिंह कुशवाहा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि डॉ. आर. बी. सिंह कुशवाहा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का स्थानांतरण शासकीय आयुर्वेद औषधालय लंजोड़ा जिला बस्तर में किये जाने के कारण अपनी अस्वस्थ्यता का कारण दर्शाते हुये कार्य पर उपरिस्थित नहीं हुये। डॉ. कुशवाहा द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपरिस्थित रहने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 10 (एक) के तहत परिनिदा की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	06/12/2017
50	130/2016/GS	22/11/2017	जल संसाधन विभाग	30 लाख फर्जी मेजरमेंट वाले बिलों को भुगतान करने के संबंध में श्री एल.बी.शाह, कार्यपालन अभियंता (वि./यां), के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री एल.बी.शाह, कार्यपालन अभियंता (वि./यां) द्वारा विभागीय प्रक्रियाओं एवं नियमों का पालन न कर राशि भुगतान करने संबंधी कार्य में अपने दायित्वों के निर्वहन में किये गये लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम- 1966 के नियम-10 के उपनियम (5) के तहत ‘‘तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने’’ की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	06/12/2017
51	94/2016/GS	17/11/2017	जनसंपर्क विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही— श्री सी.एल.लोहारे, तत्कालीन सहायक संचालक महासमुंद्र।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री सी .एल. लोन्हारे तत्का. सहायक संचालक महासमुंद्र द्वारा नगरपालिका/ नगर पंचायत के निर्वाचन में नगर पालिका/ नगर पंचायत से संबंधित प्रवेश पत्र समय पर पत्रकारों को वितरीत न कर निर्वाचन संबंधी कार्य में अपने दायित्वों के निर्वहन में बरती गई अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत ‘‘परिनिदा’’ की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	08/12/2017
52	120/2017/GS	17/11/2017	महिला एवं बाल विकास विभाग	श्री अजय साहू, तत्कालीन परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बालाघाट के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री अजय साहू, तत्कालीन परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बालाघाट द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति में धोखाधड़ी किये जाने के कारण दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	08/12/2017

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

53	119/2017/GS	15/11/2017	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागीय जांच –श्री आर.एन.चौबे, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सूरजपुर।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री आर.एन.चौबे, तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सूरजपुर द्वारा अपने कार्यों में किये गये वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध शासकीय क्षति राशि रु. 65,680/- की वसूली किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	12/12/2017
54	142/2017/GS	20/12/2017	पशुधन विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध डॉ. हनुमान सिंह परिहार (से .नि.) तत्कालीन उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें कोरिया।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री हनुमान सिंह परिहार (से .नि.) तत्कालीन उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला कोरिया द्वारा औषधियों को निर्धारित दर से अधिक दर पर क्य किये जाने से रुपये 32,940/- का अधिक भुगतान किये जाने से शासन को हुई हानि की वसूली उनके देय पेंशन /उपादान से किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/01/2018
55	143/2017/GS	19/12/2017	जल संसाधन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध – श्री डी.के.श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता एवं श्री अनिल कुमार पालड़िया, सहायक अभियंता एवं एम.ए.शेख, उपअभियंता।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री डी.के.श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता एवं श्री अनिल कुमार पालड़िया, सहायक अभियंता द्वारा सौंपे गए कार्य हेतु प्रयुक्त निर्धारित सामग्री में परिवर्तन करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किये जाने के कृत्य को छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के उल्लंघन की श्रेणी में पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(1) के तहत “परिनिदा की शास्ति” अधिरोपित किये जाने हेतु लिए गए प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	10/01/2018
56	122/2017/GS	23/11/2017	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री संकल्प साहू तत्का. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग जिला रायपुर	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री संकल्प साहू तत्का. सचिव, छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग जिला रायपुर के विरुद्ध अधिरोपित आरोप गंभीर प्रकृति का है। जांच प्रतिवेदन में आरोप क्रमांक 03 वित्तीय अनियमितता एवं आरोप क्रमांक 04 कैश बुक तथा अन्य अभिलेखों का संधारण नहीं किये जाने के कारण प्रमाणित पाया गया। ऐसे में अपचारी अधिकारी के विरुद्ध परिनिदा की शास्ति अधिरोपित किये जाने का दण्ड पर्याप्त नहीं है। अतः अपचारी अधिकारी श्री संकल्प साहू को परिनिदा की शास्ति के स्थान पर दीर्घ शास्ति एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड आरोपित करने हेतु आयोग की सहमति दी जाती है।	10/01/2018
57	99/2016/GS	09/11/2016	पशुधन विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध डॉ. पूरनलाल पटेल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी विभागीय निर्णय पर सहमति प्रदान करने के संबंध में।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि डॉ. पूरनलाल पटेल द्वारा प्रभारी चल पशु चिकित्सा इकाई के पदस्थी अवधि में वर्ष 2012-13 में पीपीआर टीकाकरण हेतु वर्कशॉप आयोजन हेतु सामग्री क्य करने में छ.ग. भण्डार क्य नियम का पालन नहीं किये जाने के कारण एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	19/01/2018

58	154/2017/GS	27/12/2017	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच—डॉ. बी.के.गर्ग, पदोन्नत प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय राजपुर, जिला—बलरामपुर।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री अपचारी अधिकारी डॉ. बी.के.गर्ग, पदोन्नत प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय राजपुर, जिला—बलरामपुर के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के तहत “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” का दण्ड दिये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	19/01/2018
59	129/2017/GS	06/12/2017	जल संसाधन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री डी. सी. जैन तत्का। कार्यपालन अभियंता, श्री अनिल कुमार पालडिया तत्का। अनुविभागीय अधिकारी, श्री जे. के. जैन तथा श्री एस. आर. वर्मा उप अभियंता	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार पालडिया तत्का। अनुविभागीय अधिकारी द्वितीय श्रेणी के द्वारा अपने कार्यों में बरती गई अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड पर लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	22/01/2018
60	155/2017/GS	23/12/2017	गृह विभाग	श्री आर.सी.चौहान, जिला सेनानी, नगर सेना, बीजापुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री आर.सी.चौहान, जिला सेनानी, नगर सेना बीजापुर छ.ग. द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं गंभीर कदाचरण किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम –1966 के नियम– 10(4) के तहत उनके आरोप स्थीकारोक्ति के आधार पर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	07/02/2018
61	163/2017/GS	16/01/2018	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध डॉ. एल. एन.वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य, शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग, वर्तमान शासकीय महाविद्यालय, डौंडीलोहारा जिला बालोद के द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम –1966 के नियम– 10(4) के तहत उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/02/2018	
62	161/2017/GS	09/01/2018	लोक निर्माण विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री एम.एस.कश्यप, अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री यू.पी.जोशी, उपअभियंता।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री एम.एस.कश्यप, अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री यू.पी.जोशी, उप अभियंता के द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम –3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम– 1966 के नियम– 10(4) के तहत उनकी एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	07/02/2018

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

63	79/2017/GS	07/09/2017	पशुधन विकास विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध डॉ. पी.के.कोसरिया, पशु चिकित्सा सहायक शत्यज्ञ तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग – 03 विकासखंड पाली की काउंसलिंग / भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितता के संबंध में।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि जांच प्रतिवेदन में स भी आरोप प्रमाणित पाया गया है। अतः डॉ. पी. के. कोसरिया, पशु चिकित्सा सहायक शत्यज्ञ तत्का . मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग-3 वि.ख. पाली की काउंसलिंग/भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितता के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/02/2018
64	162/2017/GS	16/01/2018	उच्चशिक्षा विभाग	विभागीय जांच—विरुद्ध श्री दिनेश कुमार सोनी, प्रभारी प्राचार्य/सहायक प्राचार्यपक, (वाणिज्य) एवं श्री विनय शुक्ला, सहायक प्राचार्यपक, हिन्दी शासकीय महाविद्यालय, बोडला, जिला –कबीरधाम के द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के तहत उनकी ‘एक–एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने’ हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री दिनेश सोनी, प्रभारी प्राचार्य/सहायक प्राचार्यपक, (वाणिज्य) एवं श्री विनय शुक्ला, सहायक प्राचार्यपक, हिन्दी शासकीय महाविद्यालय, बोडला, जिला –कबीरधाम के द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के तहत उनकी ‘एक–एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने’ हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	12/02/2018
65	156/2017/GS	20/12/2017	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच – डॉ. बी.पी. त्रिपाठी, तत्का . परीक्षा नियंत्रक, छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित पी.एम.टी. परीक्षा 2011 के संबंध में।	प्रकरण के समग्र परीक्षणोपरांत जांच अधिकारी के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि जांच रिपोर्ट में तथ्यों के विवेचना प्रमाणित आधार नहीं है। अपचारी अधिकारी को मात्र पद धारण करने पर ही जिम्मेदार बताया गया है। प्रश्न पत्र किस लेवल पर लिक हुए और अपचारी अधिकारी की भूमिका उसमें क्या है, साबित नहीं है, अपितु पुलिस ने बिना जांच में प्रिंटर के लेवल पर पेपर लिक होना प्रमाणित किया है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री संनगुप्ता डायरेक्टर है। व्यापम की कोई अधिकारी प्रस्तुतकर्ता नहीं है। पूरी जांच में अपचारी अधिकारी की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदार नहीं है, फिर भी उसे दीर्घ शास्ति एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का विभाग से दण्ड दिया गया है, जिस पर सहमति दिया जाना उचित नहीं होगा। अपचारी अधिकारी द्वारा पूर्व में भी नियमों और परंपराओं के अनुसार अन्य परीक्षाएं सुनिश्चित की गई हैं, परंतु पी.एम.टी. की उक्त परीक्षाएं प्रिंटर के लेवल पर रद्द हो जाने से अपचारी अधिकारी को बिना किसी प्रमाणित आधार पर कमज़ोर मानिटिरिंग का दोषी नहीं बनाती। अतः निर्देशानुसार जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिसकी कोई तात्पर्य और प्रमाणित विश्लेषण नहीं है। आंशिक रूप से प्रमाणित होने पर अपचारी अधिकारी को दीर्घ शास्ति से दण्डित नहीं किया जा सकता। मात्र पद पर रहने की जिम्मेदारी के कारण यदि दण्ड भी किया जाना है तो लद्य शास्ति का दण्ड दिया जा सकता है। अपचारी अधिकारी डॉ. बी.पी.त्रिपाठी की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव के दण्ड से असहमत होते हुए एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से दण्डित करने पर आयोग की सहमति दी जाती है।	16/02/2018

66	169/2017/GS	31/01/2018	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	विभागीय जांच श्री डॉ. आर. भगत, तत्का . सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सरगुजा	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री डॉ. आर. भगत, तत्का . सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सरगुजा द्वारा अपने कार्यों में बरती गई लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत उनके एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है ।	22/02/2018
67	105/2017/GS	27/10/2017	स्कूल शिक्षा विभाग	श्री आर. पी. सिदार, प्राचार्य शास.उ.मा.वि. सक्ती, जिला—जांजगीर चांपा द्वारा अपने कार्यों में विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री आर. पी. सिदार, प्राचार्य शास.उ.मा.वि. सक्ती, जिला—जांजगीर चांपा द्वारा अपने कार्यों में विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत उनकी दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है ।	26/02/2018
68	173/2017/GS	31/01/2018	लोक निर्माण विभाग	देवभाग जिला गरियाबांद में 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन एवं अन्य 04 अनुबंध के कार्यों के जांच के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत – श्री एम . एस. ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री पी. के. भट्ट उप अभियंता के विरुद्ध अधिरोपित आरोप आशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है । उक्त दोनों के विरुद्ध अधिरोपित आरोप गंभीर प्रकृति का नहीं है । केवल प्रक्रिया में त्रुटि हुई है और न ही शासन को कोई हानि हुई है । अतः श्री एम . एस. ध्रुव एवं श्री पी. के. भट्ट का 3-3 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी लिये गये अन्तिम प्रशासकीय निर्णय के स्थान पर इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक—एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु आयोग की सहमति दी जाती है ।	26/02/2018	
69	180/2017/GS	24/02/2018	पशुधन विकास विभाग	शिकायत विरुद्ध डॉ . नंदलाल यादव, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ द्वारा शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र के प्रबंधक डॉ . नुपेंद्र सिंह (VAS) की झूठी शिकायत किये जाने बाबत ।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र सकालों में पदस्थ डॉ . नुपेंद्र सिंह (व्ही .ए.एस.) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में तत्कालीन माननीय मंत्रीजी के समक्ष झूठी शिकायत करने के कारण डॉ . नंदलाल यादव पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को छ .ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है ।	14/03/2018
70	179/2017/GS	24/02/2018	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	शिकायत श्री स्नेह कुमार तिर्की, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, सरगुजा ।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री स्नेह कुमार तिर्की जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी सरगुजा के विरुद्ध अपने पुत्र श्री अनुराग तिर्की को पक्षपात करते हुये सांसद निधि योजनातंर्गत डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पद पर नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है ।	14/03/2018

परिशास्त - आठ

मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग, (3689) राज्य लोक सेवा आयोग (आयोजनेतर) वित्तीय वर्ष 2017-18 माह 01.04.2017 से 31.03.2018 तक

व्यय एवं समर्पण:-

आयोजना / आयोजनेतर / दातात / भारित

(राशि रुपयों

वर्ग शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2017-18 के लिये बजट					वर्ष के दोरण अन्य पद से प्राप्त पुनर्विनियोजन (+)	कुल योग (6) + (7)	वर्ष के दोरण अन्य पद से किया गया पुनर्विनियोजन (-)	कुल योग (8)-(9)	वर्ष 2017-18 के दोरण कुल व्यय	बचत राशि कुल योग (10)-(11)	समर्पण के कारण एवं अन्यकियों		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
#01-वेतन भते, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 वेतन	319,00,000	-	-	319,00,000	100,00,000	419,00,000	-	419,00,000	365,46,410	784,46,410	53,53,590	-	-	-
003 मंहगाई भता	382,00,000	-	-	382,00,000	-	382,00,000	100,00,000	282,00,000	136,86,466	418,86,466	145,13,534	-	-	-
014 अन्य भते	40,00,000	-	-	40,00,000	-	40,00,000	-	40,00,000	37,40,343	77,40,343	2,59,657	-	-	-
015 विकेत्ता व्यय प्रतिपूर्ति	8,00,000	-	-	8,00,000	-	8,00,000	-	8,00,000	6,11,002	14,11,002	1,88,998	-	-	-
020 ल्यैहार आग्रेम	6,00,000	-	-	6,00,000	-	6,00,000	-	6,00,000	2,64,000	8,64,000	3,36,000	-	-	-
024 विकेत्ता आग्रेम	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
योग उदरेश्य शीर्ष #01	749,00,000	-	-	749,00,000	100,00,000	849,00,000	100,00,000	749,00,000	545,84,221	1294,84,221	203,15,779	-	-	-

#02- माजदूरी																				
005-डैनिक वेतनभोगी	11,00,000				11,00,000	-	11,00,000	-	11,00,000	10,93,878	21,93,878	6,122		आवश्यकतामुसार खर्च किया गया						
योग उद्देश्य शीर्ष #02	11,00,000	-			11,00,000	-	11,00,000	-	11,00,000	10,93,878	21,93,878	6,122								
#03- यात्रा भत्ता													-							
001 यात्रा भत्ता दरे आदि पर	6,00,000	-			6,00,000	-	6,00,000	-	6,00,000	1,78,947	7,78,947	4,21,053		आवश्यकतामुसार खर्च किया गया						
002 यात्रा भत्ता स्थानान्तर	1,00,000	-			1,00,000	-	1,00,000	-	1,00,000	-	1,00,000	1,00,000		आवश्यकतामुसार खर्च किया गया						
006 अवकाश यात्रा सुविधा	4,00,000	-			4,00,000	-	4,00,000	-	4,00,000	1,06,775	5,06,775	2,93,225		आवश्यकतामुसार खर्च किया गया						
योग उद्देश्य शीर्ष #03	11,00,000	-			11,00,000	-	11,00,000	-	11,00,000	2,85,722	13,85,722	8,14,278								
#04- कार्यालय व्यय													-							
001 डाकतार व्यय	50,000	-			50,000	-	50,000	-	50,000	10,000	60,000	40,000		आवश्यकतामुसार खर्च किया गया						

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

002 दृमाष व्यय	5,00,000	-	-	5,00,000	-	5,00,000	-	5,27,608	8,27,608	1,72,392	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
003 फर्मीचर एवं कार्यालय.	10,00,000	-	-	10,00,000	-	10,00,000	-	9,79,943	19,79,943	20,057	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
004 पुस्तके एवं नि. पत्रिकाएँ	3,00,000	-	-	3,00,000	-	3,00,000	-	1,49,421	4,49,421	1,50,579	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
005 बिजली एवं जल प्रभार	12,00,000	-	-	12,00,000	-	12,00,000	-	7,98,630	19,98,630	4,01,370	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
006 वर्दिंचा	1,00,000	-	-	1,00,000	-	1,00,000	-	74,252	1,74,252	25,748	आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
007 लेखन सामग्री एवं फर्मां की छपाई	6,00,000	-	-	6,00,000	-	6,00,000	-	6,00,000	5,99,578	11,99,578	422 आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
008 अन्य आकर्षिक व्यय	8,00,000	-	-	8,00,000	-	8,00,000	-	8,00,000	7,20,701	15,20,701	79,299 आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
009 सूचना प्रौद्योगिकी	2,00,000	-	-	2,00,000	-	2,00,000	-	2,00,000	1,95,495	3,95,495	4,505 आवश्यकतानुसार खर्च किया गया
011 पेट्रोल तेल आदि	10,00,000	-	-	10,00,000	-	10,00,000	-	10,00,000	9,92,841	19,92,841	7,159 आवश्यकतानुसार खर्च किया गया

012 आतिथ्य पर व्यय	1,00,000		1,00,000		1,00,000	98,881	1,98,881	1,119	
योग उद्देश्य #04	58,50,000	-	58,50,000	-	58,50,000	-	58,50,000	49,47,350	107,97,350
#05— प्रशिक्षण									
001 अधिकारी / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	3,00,000		3,00,000		3,00,000	-	3,00,000	2,74,000	5,74,000
योग उद्देश्य #06	3,00,000	-	3,00,000	-	3,00,000	-	3,00,000	5,74,000	26,000
#10— व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगित्यां									
001 परीक्षक मानदेश	120,00,000	-	120,00,000	-	120,00,000	-	120,00,000	120,00,000	240,00,000
002 परीक्षा व्यय	900,00,000	-	900,00,000	-	900,00,000	-	900,00,000	650,00,000	1,550,00,000
005 प्राइवेट अभिभाषकों को फीस	25,00,000	-	25,00,000	-	25,00,000	-	25,00,000	10,00,000	35,00,000
010 सुरक्षा व्यय	5,50,000	-	5,50,000	-	5,50,000	-	5,50,000	5,45,275	10,95,275
योग उद्देश्य #10	1050,50,000	-	1050,50,000	-	1050,50,000	0	1050,50,000	785,45,275	1835,95,275
#24— अनुरक्षण कार्य									

001 फोटर गाडी	6,00,000	-	-	6,00,000	-	6,00,000	-	6,00,000	3,88,106	9,88,106	2,11,894	आवश्यक तानुसार संचर किया गया
योग उद्देश्य												
#24 #34— वाहनों का क्रय	6,00,000	-	-	6,00,000	-	6,00,000	-	6,00,000	3,88,106	9,88,106	2,11,894	आवश्यक तानुसार संचर किया गया
001 प्रतिस्थापन	12,00,000	-	-	12,00,000	-	12,00,000	-	12,00,000	11,44,602	23,44,602	55,398	आवश्यक तानुसार संचर किया गया
योग उद्देश्य	12,00,000	-	-	12,00,000	-	24,00,000	-	12,00,000	11,44,602	23,44,602	55,398	
महारोग	1901,00,000	-	-	1901,00,000	100,00,000	2013,00,000	100,00,000	1901,00,000	1412,63,154	3313,63,154	488,36,846	

बजट समर्पण का विवरण

488,36,846 =00
+ बचत

488,36,846 =00
- आधिकारिक

488,36,846 =00
कुल शेष बचत
का समर्पण





छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

Website : www.psc.cg.gov.in